

अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

3.1 राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन

3.1.1 परिचय

राजस्थान में खनिजों के विशाल भंडार हैं जैसे कि ताम्बा, सीसा, जस्ता, रॉकफॉस्फेट, सोपस्टोन, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, मार्बल और जिप्सम। राज्य की अधिकांश खनिज सम्पदा अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है।

खनन विभिन्न स्तरों यथा अन्वेषण, निष्कर्षण, परिशोधन एवं खानों के बंद होने से पर्यावरण पर दबाव डालता है। खनन से सम्बन्धित मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे भूमि की अवनति मय शुष्क परिदृश्य, कृषि भूमि में हवा के साथ रेत का फैलाव, नाला का क्षरण, भूमि मलीनता, सतही एवं भूजल का प्रदूषण शामिल है।

राजस्थान को भी अरावली पहाड़ियों की सीमा में और इसके आसपास अनियंत्रित अवैध खनन का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है।

नियामक तंत्र

राज्य में खनिज निष्कर्षण गतिविधियां खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं नीतियों के तहत विनियमित की जाती है। खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्तियां अनुदानित किए जाते हैं। आवेदक को खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति अनुदान से पूर्व वन भूमि का गैर-वन प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के लिए अनुमोदन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जैसा भी प्रकरण हो से पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संस्थापन की सहमति तथा संचालन की सहमति लेनी पड़ती है।

पट्टाधारी को खनन अनुज्ञप्ति अनुदान के पश्चात, खनिजों के उत्पादन एवं पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उपायों पर खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर विभाग में

प्रशासन तथा सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान तथा वित्तीय मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, नौ वृत्तों के माध्यम से जिनके प्रमुख अधीक्षण खनि अभियंता हैं, नियंत्रण करते हैं।

49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता खनिजों से राजस्व प्राप्तियों के विनियमन, निर्धारण एवं संग्रहण हेतु जिम्मेदार हैं। खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) जयपुर हैं जिसे उदयपुर स्थानान्तरित (अगस्त 2016) किया गया था।

31 मार्च 2016¹ को 18,103 खदान अनुज्ञप्तियों के अलावा प्रधान खनिजों के 167 खनन पट्टे तथा अप्रधान खनिजों के 15,318 खनन पट्टे थे।

हमने यह विषय क्यों चुना

विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप खनन संक्रिया नहीं करने एवं अवैज्ञानिक खनन के कारण विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में पर्यावरणीय गिरावट तथा अनियंत्रित अवैध खनन की प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार रिपोर्टें थीं। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में की गई लेखापरीक्षाओं में भी अवैध खनन के विशिष्ट प्रकरणों या खान विभाग द्वारा नियामक अनुमोदनों के बिना खनन संक्रियाओं की अनुमति देने के प्रकरणों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था।

3.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

पट्टेधारियों द्वारा विद्यमान पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा निगरानी का परीक्षण करने के लिए पांच जिलों² के नौ सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों³ के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सम्बन्धित पांच क्षेत्रीय कार्यालयों⁴ का चयन प्रतिस्थापन विधि सहित आकार के लिए आनुपातिक संभावना के माध्यम से किया गया। अप्रैल 2010 से मार्च 2017 तक की अवधि से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की गई।

¹ डीएमजी स्तर पर 31 मार्च 2017 तक के लिये खनन पट्टों एवं खदान अनुज्ञप्तियों से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन प्रगति पर था (जून 2017)।

² राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं जिनमें से 15 जिले अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। पांच जिलों यथा अलवर, जयपुर, राजसमंद, सीकर एवं उदयपुर का चयन कार्यशील खानों के आधार पर किया गया था।

³ खनि अभियंता, अलवर; खनि अभियंता, जयपुर; सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली; सहायक खनि अभियंता, नीम का थाना; खनि अभियंता, राजसमंद-I; खनि अभियंता, राजसमंद- II; सहायक खनि अभियंता, ऋषभदेव; खनि अभियंता, सीकर एवं खनि अभियंता, उदयपुर।

⁴ अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर एवं उदयपुर।

लेखापरीक्षा जांच नवम्बर 2015 से मई 2016 एवं मई 2017 से जून 2017 तक की गई। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों में 4,150 पट्टे थे। लेखापरीक्षा द्वारा 35 निरस्त/अभ्यर्पित खनन पट्टों सहित 288 खनन पट्टों के अभिलेखों का यादृच्छिक चयन पर परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा संधारित अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

चयनित पट्टों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

खनन पट्टों के क्रियाशील रहने के दौरान तथा खानों के बंद होने के पश्चात पर्यावरणीय प्रावधानों की अनुपालना की सीमा के आंकलन के लिए चयनित 288 खनन पट्टों में से 136⁵ खनन पट्टों का खान विभाग के प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पट्टेधारियों के प्रतिनिधि, जहां कहीं भी उपलब्ध थे, को भी सम्मिलित किया था।

आंकड़ों का क्रॉस सत्यापन

136 खनन पट्टों में से, जिनका संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया, अवधि 2010-15⁶ के दौरान में खान विभाग द्वारा 17 खनन पट्टों में 19 निरीक्षण किए गए थे जबकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 38 खनन पट्टों में 50 निरीक्षण किए गए थे।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच-परिणाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों (जिनके आधार पर संचालन की सहमति प्रदान की गई थी), सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षणों एवं पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत एवं खान विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना से यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अथवा खान विभाग द्वारा प्रतिवेदित तथ्य पर्याप्त, विश्वसनीय एवं पूर्ण थे क्रॉस सत्यापित किये गये।

प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3.1.6.3 में इसकी चर्चा की गई है।

आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये खान एवं भू-विज्ञान विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सहयोग का आभार प्रकट करता है। निदेशक, खान एवं

⁵ 43 प्रधान खनिज पट्टे तथा 93 अप्रधान खनिज पट्टे मय 21 निरस्त तथा 2 अभ्यर्पित पट्टों सहित।

⁶ 136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के पश्चात 2015-17 के दौरान खान विभाग द्वारा 25 पट्टों में 25 निरीक्षण किये तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दो खनन पट्टों में तीन निरीक्षण किए थे। इस प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि में अंतराल के कारण तुलना नहीं की गई।

भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के साथ एक प्रारम्भिक सभा 07 जनवरी 2016 को की गयी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यपद्धति से अवगत कराया गया। सरकार/विभाग को तथ्यात्मक विवरण 27 मई 2016 को जारी किया गया था। तथ्यात्मक विवरण का उत्तर सरकार से 22 जुलाई 2016 को और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से 7 अक्टूबर 2016 को प्राप्त हुआ था।

शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, राजस्थान सरकार, जयपुर और अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के साथ 7 नवम्बर 2016 को समापन सभा हुई जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। समापन सभा के दौरान तथा तथ्यात्मक विवरण की प्रतिक्रिया में सरकार/विभाग/मण्डल से प्राप्त उत्तर सम्बन्धित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिये गये हैं।

मुख्य मुद्दे जिनको लेखापरीक्षा में आच्छादित किये गये थे (i) पर्यावरण स्वीकृति एवं संचालन की सहमति के बिना खनन (ii) अवैध खनन के प्रकरण (iii) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना नहीं करना (iv) खनन योजना में उल्लिखित पर्यावरणीय शर्तों की अनुपालना नहीं करना और (V) पर्यावरण रक्षण से सम्बन्धित कोषों का प्रबंधन।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.3 पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति के बिना खनन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 के अनुसार, प्रधान खनिजों से सम्बन्धित नवीन खनन परियोजनायें या विद्यमान खनन परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिये, यदि पट्टा क्षेत्र पांच हैक्टर से अधिक था तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। इस अधिसूचना को दिनांक 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना से अतिष्ठित किया गया जिसके अनुसार पांच हैक्टर से लेकर 50 हैक्टर से कम क्षेत्र की प्रधान अथवा अप्रधान खनिज की सभी खनन परियोजनाओं के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था तथा 50 हैक्टर एवं अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27 फरवरी 2012 के द्वारा उनके लिये इसे अनिवार्य करने के बाद पांच हैक्टर से कम क्षेत्र के अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे भी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में आ गये। इसके अलावा, पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 में दिनांक 7 अक्टूबर 2014 के संशोधन से प्रधान खनिजों के खनन पट्टे जिनका क्षेत्र पांच हैक्टर से कम है, के लिए भी पर्यावरण सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निम्न दृष्टांत पाये गए यथा पर्यावरणीय

स्वीकृति के बिना खनिज उत्पादन में वृद्धि, व्यपगत संचालन की सहमति का नवीनीकरण कराए बिना खनन संक्रियाए करना और संचालन की सहमति की शर्तों के उल्लंघन में खनिजों का खनन करना जैसा कि नीचे वर्णित है:

3.1.3.1 पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनिज उत्पादन में वृद्धि

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 मई 2012 से निर्देशित किया कि 14 सितम्बर 2006 को जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना खनन पट्टे के आकार पर विचार किये बिना अप्रधान खनिजों की सभी खनन परियोजनाओं पर लागू होगी। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना की शर्तों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक होगी। आगे, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अनुसार, जो कोई भी, इस अधिनियम की अनुपालना अथवा किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, अथवा बनाए गए नियमों अथवा आदेशों अथवा इसके अधीन जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने में असफल रहता है वह कारावास का भागीदार होगा जिसकी अवधि पांच वर्ष या इससे अधिक तक विस्तारित मय शास्ति हो सकती है जो कि एक लाख रुपये तक विस्तारित अथवा दोनों से दंडनीय हो सकती है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में चार सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों में पाया गया कि चार पट्टेधारियों ने पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनिज के उत्पादन में वृद्धि की थी। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	खनिज एवं क्षेत्रफल (हेक्टर में)	पूर्व संचालन की सहमति की अवधि एवं अनुमत्य खनन क्षमता	उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालन की सहमति के लिये आवेदन की दिनांक	उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालन की सहमति जारी करने की दिनांक	संचालन की सहमति की अवधि एवं अनुमत्य खनन क्षमता
1	गणनायक माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड (ख.प. सं. 46/2011)	मार्बल (4)	21.12.2011 से 30.11.2014 (40,575 मै.टन/वर्ष)	22.1.2013	30.1.2013	22.1.2013 से 31.12.2015 (5,01,288 मै. टन/वर्ष)
2	विनीत उद्योग, (ख.प.सं. 41/93 पुरानी संख्या 202/82)	सर्पेन्टाईन (1)	1.11.2011 से 31.10.2014 (11,847 मै.टन/वर्ष)	10.10.2012	18.10.2012	10.10.2012 से 30.9.2015 (1,00,000 मै.टन/वर्ष)
3	मैसर्स अरोड़ा जे.के. नेचुरल मार्बल्स लिमिटेड (ख.प.सं. 11/03)	मार्बल (4)	1.11.2011 से 31.10.2014 (50,000 मै. टन/वर्ष)	12.6.2014	9.7.2014	1.5.2014 से 30.4.2017 (1,07,165 मै.टन/वर्ष)
4	मैसर्स सिंघल स्टोन्स (ख.प.सं. 260/95)	मैसनरी स्टोन (1)	1.1.2011 से 31.12.2013 (100 मै. टन/दिन)	1.11.2012	26.11.2012	1.11.2012 से 31.10.2015 (500 मै. टन/दिन)

सम्बन्धित सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं द्वारा पट्टेधारियों के विरुद्ध खनन संक्रियायें रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई और पट्टेधारियों को अपनी संक्रियायें चालू रखने हेतु अनुमत्य किया गया। इसके अलावा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों (भीलवाड़ा, जयपुर एवं उदयपुर) ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए संचालन की सहमतियां जारी की एवं इन पट्टेधारियों के विरुद्ध शास्ति आरोपण के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मध्य सामंजस्य का अभाव पाया गया।

प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना उत्पादन में वृद्धि हेतु सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों को नोटिस जारी करने के लिये निर्देश (8 जून 2016 एवं 15 जुलाई 2016) जारी किये जा चुके थे।

3.1.3.2 व्यपगत संचालन की सहमति का नवीनीकरण कराए बिना खनन संक्रियायें

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल खनन इकाई को विनिर्दिष्ट अवधि में खोदे जाने वाली खनिज की मात्रा हेतु खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने से पूर्व संचालन की सहमति प्रदान करता है। वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अनुसार पट्टे की स्वीकृति एवं आकार पर विचार किये बिना पट्टेधारी को खनन संक्रियाओं को करने के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संचालन की सहमति लेनी आवश्यक है। इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 का नियम 37 टी (1) भी प्राविधित करता है कि प्रत्येक पट्टेधारी/खदान अनुज्ञप्तिधारी को खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होगी और संचालन की सहमति की शर्तों को कठोरता से लागू करना होगा। आगे, खनन इकाई को संचालन की सहमति की अवधि की समाप्ति से कम से कम 120 दिवस पूर्व इसके नवीनीकरण हेतु नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

चयनित पांच सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों⁷ के अवधि अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 563.11 हैक्टर पट्टा क्षेत्र के नौ पट्टेधारियों ने 1.72 लाख मै.टन खनिज मैसनरी स्टोन, मार्बल, सोपस्टोन एवं क्वार्ट्ज का खनन बिना संचालन की सहमति अथवा व्यपगत संचालन की सहमति का नवीनीकरण कराये किया। यह पाया गया कि सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता ने पट्टेधारियों के विरुद्ध खनन संक्रियायों को रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

⁷ जयपुर, राजसमंद-I, राजसमंद-II, सीकर एवं उदयपुर।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों को, यदि खाने संचालन की सहमति के बिना कार्यशील थी तो खनन संक्रियायें तुरन्त बंद करने और तथ्यों के सत्यापन के पश्चात सम्बन्धित पट्टेधारियों को नोटिस जारी करने हेतु निर्देश जारी (8 जून 2016 एवं 15 जुलाई 2016) किये गये थे। आगे, निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि विभाग में अब ऑनलाईन प्रणाली कार्यशील है तथा रवन्नाओं⁸ की व्युत्पत्ति केवल संचालन की सहमति का विवरण दर्ज करने के पश्चात होती है।

3.1.3.3 संचालन की सहमति की शर्तों के उल्लंघन में खनिज का खनन

प्रत्येक पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति पट्टा अवधि के दौरान प्रतिवर्ष खनिज उत्पादन मात्रा विनिर्दिष्ट करती है। संचालन की सहमति भी एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उत्खनित की जा सकने वाली खनिज की मात्रा निर्धारित करती है। यदि कोई पट्टेधारी खनिज के उत्पादन में वृद्धि चाहता है तो उसे पुनरीक्षित संचालन की सहमति के लिये आवेदन करना होगा।

चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि:

➤ सात सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों⁹ में 32 पट्टेधारियों ने जिनके पास 96.75 हैक्टर क्षेत्र था, संचालन की सहमति में अधिकृत मात्रा से 7.29 लाख मै.टन मात्रा खनिज मार्बल, डोलोमाईट, मैसनरी स्टोन, क्वार्ट्ज, फ़ैल्ड्सपार, सरपेन्टाईन और सोपस्टोन का अधिक उत्खनन किया।

यह पाया गया कि सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता ने इस नियम विरुद्ध उत्खनन के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की यद्यपि संचालन की सहमति की शर्तों का उल्लंघन संचालन की सहमति को प्रत्याहरित करने का प्रभाव रखता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों ने भी इन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और संचालन की सहमतियों को आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किया। प्रकरण सरकार तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के ध्यान में लाया गया। सरकार ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जानी वांछित थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेधारियों को खनन क्षेत्र से खनिज के निर्गमन हेतु रवन्ना विभाग द्वारा जारी किये थे। संचालन की सहमति में अनुमत्य मात्रा के अनुसार रवन्ना जारी किये जाने चाहिये थे।

⁸ रवन्ना का आशय खानों से खनिजों को हटाने या प्रेषण के लिए वितरण चालान।

⁹ जयपुर, कोटपूतली, राजसमंद-I, राजसमंद-II, ऋषभदेव, सीकर एवं उदयपुर।

सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि जहां कहीं खनिज का अधिक उत्खनन पाया गया, पट्टेधारी पर अभियोग चलाया जायेगा तथा उन सभी खानों के संबंध में अभियोजन के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके थे जहां संचालन की सहमति में अधिकृत मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया गया था।

- पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में वर्णित शर्तों के उल्लंघन में नियम विरुद्ध उत्खनन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.1.4 अवैध खनन

अनुज्ञापत्र के बिना खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन, बिना अधिशुल्क भुगतान खनिज का उठाव आदि अवैध खनन की श्रेणी में आता है। अवैध खनन गतिविधियां पर्यावरण पर गहन प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि इनमें किसी विनियमन अथवा पर्यावरणीय शर्तों की पालना नहीं होती है। अवैध खनन संक्रियाओं का प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनों, नदियों, वनस्पति-जीवों और जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान में आया कि अवैध खनन के प्रकरणों पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही, देरी से नोटिस को जारी करने से उचित प्रतिरोध में कमी, एवं नीतिगत उपायों को कार्यान्वित नहीं करने के प्रकरण थे जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

3.1.4.1 चयनित खनि अभियंता कार्यालयों में दर्ज अवैध खनन के प्रकरणों पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही

खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का पता चलने पर पंचनामें¹⁰ तैयार किये जाने थे और लागत वसूली पर निगरानी के लिये रजिस्टर में इन्द्राज किये जाने थे। खनिजों के अवैध खनन, निर्गमन तथा भण्डारण के प्रकरणों का या तो खनिज की कीमत वसूली कर प्रशमन किया जाता है या पुलिस के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन प्रकरणों की निगरानी वृत्त के अधीक्षण खनि अभियंताओं के माध्यम से निदेशालय को भेजी गई प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

नौ सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच ने वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण की निम्न स्थिति को प्रकट किया:

¹⁰ अवैध उत्खनन के सम्बन्ध में जांच के दौरान निरीक्षण स्थल पर बनाया गया सत्यापन नोट

कार्यालय का नाम	दर्ज प्रकरणों की संख्या			खनिज की कुल मात्रा (लाख मै. टन में)	वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
	अवैध खनन	अवैध परिवहन	अवैध भंडारण			
खनि अभियंता, अलवर	115	786	78	3.03	4.71	2.30
खनि अभियंता, जयपुर	166	457	1	4.01	5.33	2.16
सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली	108	648	0	20.94	6.46	26.89
सहायक खनि अभियंता, नीम का थाना	5	82	1	0.02	0.63	0
खनि अभियंता, राजसमंद-I	8	37	0	0.005	0.18	0
खनि अभियंता, राजसमंद- II	76	344	5	0.20	1.32	0.02
खनि अभियंता, सीकर	206	379	1	67.22	4.94	147.15
खनि अभियंता, उदयपुर	106	433	14	3.45	1.93	0.41
सहायक खनि अभियंता, ऋषभदेव	1	14	1	0.002	0.07	0
योग	791	3,180	101	98.87	25.57	178.93

जैसा कि उपरोक्त तालिका से दृष्टिगोचर होता है, चयनित नौ सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों ने 2011-12 से 2016-17 के दौरान खनिज के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण के 4,072 प्रकरणों को दर्ज किया था। लगभग 98.87 लाख मै.टन खनिजों का अवैध खनन किया जाना पाया गया। तथापि, वसूली योग्य राशि ₹ 204.50 करोड़ के विरुद्ध विभाग केवल ₹ 25.57 करोड़ वसूल कर सका था।

अवैध खनन और परिवहन से सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षण ने प्रकट किया कि पंचनामों में गांवों के नाम, जहां से वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज का लदान किया गया था वर्णित किये गये थे। तथापि, पंचनामों में विशिष्ट स्थल या मौका का उल्लेख नहीं किया गया था। खनि अभियंता ने अवैध उत्खनन के स्रोत तथा मौका स्थल के बारे में आगे जांच नहीं की तथा जहां वसूलियां कर ली गई थी, प्रकरणों को बंद कर दिया गया। तथापि, वाहन स्वामियों से

वसूलियां कर ली गई थी, जबकि अवैध खननकर्ता गुप्त रूप से अवैध खनन करते रहे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि अधीनस्थ कार्यालयों को पंचनामों में पूर्ण विवरण भरने के लिये और अवैध खनन के प्रकरणों में बकाया राशि वसूली के लिये निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.1.4.2 नोटिस जारी करने तथा अवैध खननकर्ताओं से शास्ति राशि की वसूली में विलम्ब के कारण प्रतिरोध में कमी

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48(5) के अनुसार, यदि अवैध खननकर्ता द्वारा खनिज निर्गमित या खपत किया जाना पाया जाता है तो प्राधिकारी खनिज की लागत मय किराया, रॉयल्टी अथवा काबिज भूमि या उत्खनित खनिज पर प्रभारित कर की वसूली कर सकेंगे। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर रॉयल्टी के 10 गुणा के बराबर संगणित होगी।

यह पाया गया कि नोटिस जारी करने, मांग प्रस्तुत करने और अवैध खननकर्ताओं से खनिज की लागत एवं रॉयल्टी वसूली के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अवैध खननकर्ताओं को नोटिस जारी करने एवं उनसे राशि की वसूली करने में विलम्ब हुआ था। कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

➤ खनि अभियंता, सीकर के संयुक्त दल ने निरीक्षण (11 अगस्त 2014) पर पाया कि छः पट्टाधारकों ने अपने पट्टा क्षेत्र के बाहर से 1.09 लाख मै.टन मैसनरी स्टोन, ग्रेनाईट तथा मुरम का उत्खनन किया था। खनि अभियंता, सीकर ने खनिजों के अवैध खनन के लिये इन पट्टाधारकों को कारण बताओ नोटिस (सितम्बर/अक्टूबर 2014) जारी किये। छः में से पांच पट्टाधारकों ने वसूली के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था (8 जनवरी 2016) और वसूली के विरुद्ध स्थगन को जून 2017 तक मुक्त नहीं कराया जा सका था। शेष प्रकरण में, अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने क्षेत्र में अवैध खनन के सत्यापन हेतु एक समिति का गठन (12 अगस्त 2016) किया एवं सत्यापन प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (जून 2017)।

➤ खनि अभियंता, सीकर द्वारा खान के अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित होने के कारण एक पट्टा (65/2000) में खनन संक्रियायें रोकी थी (5 मार्च 2010)। खनि कार्यदेशक ने पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान (16 अक्टूबर 2014) यह पाया कि पट्टेधारी ने खनि अभियंता के निर्देशों पर खान बंद किये जाने के पश्चात पट्टा क्षेत्र से 1,295 मै.टन मैसनरी स्टोन का उत्खनन किया था। दातारामगढ़ पुलिस थाना में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (17 अक्टूबर 2014) दर्ज करवायी गयी। तथापि, पट्टेधारी के विरुद्ध आगे ना तो खनि अभियंता और ना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गई।

➤ खनि अभियंता, अलवर के चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दो प्रकरणों (450/09 और 554/09) में एक समिति¹¹ ने प्रतिवेदित (18 जुलाई 2015) किया कि 4 मार्च 2015 को ली गई गड्ढे की माप के अनुसार 6,091 मै. टन मैसनरी स्टोन के उत्खनन के विरुद्ध पट्टाधारकों ने अपने पट्टा क्षेत्र से 89,795 मै. टन मैसनरी स्टोन निर्गमित (फरवरी 2015 तक) किया था। जिसके परिणामस्वरूप, अन्यत्र स्थान से उत्खनित 83,704 मै. टन मैसनरी स्टोन का खननाओं के दुरुपयोग के द्वारा अधिक निर्गमन हुआ था। खनि अभियंता ने इन पट्टेधारियों के विरुद्ध मांग प्रस्तुत (सितम्बर 2015) की। मांग की वसूली से सम्बन्धित स्थिति सूचित नहीं की गई थी (जून 2017)।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित खनि अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और राशि वसूल करने की कार्यवाही के लिये निर्देश जारी किये जा चुके थे।

3.1.4.3 अवैध खनन को रोकने के लिये नीतिगत उपायों को कार्यान्वित नहीं करना

राजस्थान खनिज नीति 2011 (28 जनवरी 2011 से प्रभावी) ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिये कतिपय कुछ उपायों को निर्धारित किया। निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं चयनित कार्यालयों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ठोस उपाय जैसे विनियामक पर्यवेक्षण, पर्याप्त सतर्कता, प्रोत्साहन योजना का आरंभ नहीं करना, चेक पोस्ट का आधुनिकीकरण और खनित गड्ढों की बहाली एवं सुधार, नहीं किये गये थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

विनियामक पर्यवेक्षण

नीति के अनुसार, अवैध खनन की जांच के लिए नियामक पर्यवेक्षण को सुधारने और अवैध खनन पर सतर्कता रखने के लिये ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों, खनन पट्टों एवं जांच चौकी नाकों के प्रतिवर्ष निरीक्षण के मानदण्डों में बढोतरी की थी। परिणामस्वरूप, सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को प्रतिवर्ष खनन पट्टों के 120 निरीक्षण करने थे। खनि कार्यदेशक के लिये कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे किंतु उसे केवल क्षेत्रीय कर्तव्य सौंपे गये थे। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक द्वारा किये गये निरीक्षणों का ब्यौरा अंकित करने के लिये कोई पंजिका निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप निरीक्षण के

¹¹ डीएमजी ने अलवर जिले में खनन पट्टों के संयुक्त निरीक्षण के लिए अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) की अध्यक्षता में एक कमेटी (22 फरवरी 2015) का गठन किया।

लिए निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 में कोई प्रावधान नहीं किये गये थे (फरवरी 2017)। परिणामस्वरूप, नीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि नियामक पर्यवेक्षण को सुधारने के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 में प्रावधान शामिल करना प्रक्रियाधीन था, परंतु इसे अभी तक भी सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

सतर्कता

नीति के अनुसार, खनन गतिविधियों की नजदीक से निगरानी करने के लिये विभाग की सतर्कता शाखा को सुदृढ़ किया जाना था। तदनुसार, उनके कार्यालय राज्य में उपयुक्त स्थानों पर अवस्थित होने थे।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त पदों का सृजन कर सतर्कता शाखा को पुनर्गठित एवं सुदृढ़ किया। अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) और खनि अभियंता (सतर्कता) के लिये अधीनस्थ कार्यालयों, चेक पोस्टों एवं खनन पट्टों का निरीक्षण करने के लिये विशिष्ट निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

तथापि, सतर्कता कार्यालयों में आवश्यक संसाधनों का अभाव था तथा महत्वपूर्ण पद जैसे खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) आदि अधिकांशतः रिक्त रहे। उदाहरणार्थ, सरकार ने खनि अभियंता (सतर्कता) कार्यालय अलवर एवं सीकर तथा सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) कार्यालय कोटपूतली तथा राजसमंद सृजित (अगस्त 2013) किये थे। नवीन सृजित कार्यालयों में स्वतंत्र खनि अभियंता (सतर्कता), अलवर (अगस्त 2013 से मार्च 2017) खनि अभियंता (सतर्कता) सीकर (अक्टूबर 2014 से मार्च 2017), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) कोटपूतली (अगस्त 2013 से मार्च 2017) एवं सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) राजसमंद (अगस्त 2013 से नवम्बर 2014) नियुक्त नहीं किये गये थे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सतर्कता शाखा को और सुदृढ़ किया जायेगा।

प्रोत्साहन योजना

नीति के अनुसार, अनाधिकृत खनिज संचलन एवं अवैध खनन के निरीक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे विभाग के अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिये एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जावेगी। सूचना की गुणवत्ता के आधार सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की एक योजना को भी परिकल्पित किया गया था।

यह पाया गया कि एक अवैध खनन एवं खनिज के अनाधिकृत संचलन को रोकने के लिये असाधारण प्रयास करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिये राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके अलावा, अवैध खनन की सूचना देने वाले मुखबिरों को पुरस्कृत करने की कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गयी।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

चेक पोस्ट का आधुनिकीकरण

नीति के अनुसार, खनिज के अवैध परिवहन का पता लगाने के लिये परिष्कृत उपकरण द्वारा खनिज चेक पोस्टों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। तथापि, चेक पोस्टों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि चेक पोस्ट के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर अनुमोदन के लिये लम्बित थे।

अवैध खनन से खनित गड्ढे की बहाली एवं पुनरूद्धार

नीति के अनुसार, अवैध खननकर्ताओं द्वारा सृजित किये गये खनित गड्ढों को पुनःस्थापित करने एवं अवैध खननकर्ताओं से व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करने हेतु खान विभाग को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किये जायेंगे।

यह पाया गया कि यद्यपि नीति की घोषणा के सात से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अवैध खनन कर्ताओं से खनित गड्ढों की बहाली के लिये क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के प्रावधान नहीं किये गये थे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि खनित गड्ढों की बहाली एवं पुनरूद्धार के नियम प्रक्रियाधीन है।

समापन सभा (नवम्बर 2016) में विभाग सहमत था कि अवैध खनन को रोकने के लिए नीति में निहित प्रावधानों की पूरी तरह क्रियान्विति नहीं हुई थी।

- विभाग को अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में अपने पर्यवेक्षण, सतर्कता एवं निवारक तंत्र का उन्नयन करना चाहिये। अवैध खनन गतिविधियों के खतरे एवं पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये यह अन्य विभागों के साथ प्रभावपूर्ण समन्वय कर सकता है।
- विभाग राज्य में अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिये उपग्रह मानचित्रण एवं सुदूर संवेदी तकनीकों के उपयोग पर विचार करना चाहिए।

➤ अवैध खनन को रोकने के लिये 2011 में अभिव्यक्त नीतिगत उपायों को पूर्ण रूप से लागू करके विभाग को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाना चाहिये। यह अवैध खननकर्ताओं पर भूमि के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास के लिये क्षतिपूर्ति राशि के आरोपण के प्रावधानों को तुरन्त शामिल कर सकता है।

3.1.5 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन

चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अरावली पहाड़ियों के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना विभाग द्वारा नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

3.1.5.1 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों पर जारी आदेश

अरावली पहाड़ियों में अनेक वर्षों से पर्यावरणीय मुद्दों की उपेक्षा करते हुये बड़े पैमाने पर संचालित खनन गतिविधियां गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का कारण रही है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में खनन के मामलों में **परिशिष्ट-3.1** में दिये गये विवरणानुसार समय समय पर निर्देश¹² जारी किए। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं गैर अनुपालन के प्रकरणों की जांच हेतु केन्द्रीय प्राधिकार समिति के गठन के लिये आदेशित (9 मई 2002) किया।

विभाग ने अरावली पहाड़ियों के सीमांकन के लिये रिचर्ड मर्फी के भू-आकृति वर्गीकरण को अंगीकृत किया (16 जनवरी 2003)। इस वर्गीकरण के अनुसार, यदि चोटी/पहाड़ी का भाग भू-तल से 100 मीटर ऊपर है तो ये अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आयेंगे और ढाल/चोटियां जो उस बिन्दु (भू-तल से 100 मीटर) से नीचे हैं उसको अरावली पहाड़ियां नहीं माना गया था।

अनुपालना में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

3.1.5.2 अरावली पहाड़ियों में नवीन खनन पट्टों का अनुदान

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2005 को कहा कि “आगामी निर्देशों तक लम्बित रखते हुए, हम वनक्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा, हम राजस्थान राज्य में अवस्थित अरावली पहाड़ियों में किसी भी क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करते हैं जहां 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात अनुमति प्रदान की गई थी”। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने

¹² टीएन गोडावर्मन थीरूमलपाद बनाम भारत के संघ (रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995) के मामले में

अरावली पहाड़ियों में नवीन खनन पट्टों के आवंटन रोकने के निर्देश विलम्ब से जारी किये (जनवरी 2006)।

चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि:

➤ खनि अभियंता राजसमन्द-I तथा राजसमन्द-II कार्यालय द्वारा अरावली पहाड़ी श्रृंखला में 2005 में क्वार्ट्ज एवं फ़ैल्ड्सपार खनिजों के उत्खनन के लिये दो पट्टे (खनन पट्टा 20/05 तथा खनन पट्टा 8/03) स्वीकृत किये गये। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनि अभियंता को तत्काल खनन गतिविधियां रोकने तथा इन खानों को अमान्य घोषित करने के लिये निर्देशित किया (अगस्त 2006)। तथापि, खनि अभियंता द्वारा पट्टों को निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत खनि अभियंता राजसमन्द-II द्वारा खनन पट्टा 20/05 की पट्टा अवधि 1 मार्च 2006 (मूल पट्टा अवधि 2 मार्च 2006 से 1 मार्च 2036) तक बढ़ाई गई (28 फरवरी 2015)।

➤ तीन सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों¹³ के क्षेत्राधिकार में 15.52 हैक्टर में फैले हुये चार नवीन खनन पट्टे (खनन पट्टा 61/2009, खनन पट्टा 3/02, खनन पट्टा 05/97 एवं खनन पट्टा 47/11) मार्च 2005 और जनवरी 2012 के मध्य स्वीकृत किये गये यद्यपि ये पट्टे अरावली पहाड़ियों में थे। पट्टेधारियों ने 2010 एवं 2017 के मध्य 65,147.64 मै.टन खनिजों (फ़ैल्ड्सपार, सर्पेन्टाईन तथा मार्बल) का उत्खनन किया।

➤ खनि अभियंता राजसमन्द-II (मार्च 2007) तथा सहायक खनि अभियंता ऋषभदेव (मार्च 2009) द्वारा 0.6762 हैक्टर में फैले हुये दो रिक्त क्षेत्रों को अनुदानित किया गया यद्यपि ये अरावली पहाड़ी में अवस्थित थे।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जायेगी तथा दो सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यद्यपि, उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2017)।

3.1.5.3 अरावली पहाड़ियों में अवस्थित खनन पट्टों के नवीनीकरण एवं अभिवृद्धि

➤ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 में कहा कि “राजस्थान राज्य की अरावली श्रृंखला में लगभग 261 खनन पट्टे थे। कुछ खनन पट्टे 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात नवीनीकृत किये गये थे, यद्यपि उस दिनांक को पारित आदेश के अनुसार यह किसी भी रूप में अनुमत्य नहीं था। प्राधिकारियों के पास एक बड़ी संख्या में नवीनीकरण आवेदन भी लम्बित हैं। खान एवं खनिज नियम (विकास एवं विनियमन) नियम, 1960 के खनन पट्टे के नवीनीकरण के नियम 24ए के स्वयं स्पष्ट प्रावधानों का लाभ लेते हुए लगभग

¹³ राजसमन्द-I, ऋषभदेव तथा उदयपुर

सभी पट्टेधारक बिना व्यवधान के खनन संक्रियाये जारी रखे हुए हैं। नवीनीकरण आवेदन लम्बे समय से और अनेक प्रकरणों में कई वर्षों से लम्बित है। 24ए स्पष्ट रूप से इस तरह की स्थिति परिकल्पित नहीं करता है। हम तदनुसार, उन सभी पट्टेधारकों को जिनके सम्बन्धित पट्टों के नवीनीकरण के आवेदन लम्बित है, आगामी आदेशों तक किसी प्रकार की खनन संक्रियाये करने से प्रतिबंधित करते हैं।”

यह पाया गया कि राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में 261 खनन पट्टों¹⁴, जिनके विवरण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किये गये थे, के अलावा खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिये लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभाग को निर्देशित किया (20 अक्टूबर 2010)।

खनि अभियंता राजसमन्द-I, राजसमन्द-II तथा सहायक खनि अभियंता ऋषभदेव के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने 19 फरवरी 2010 के पश्चात 18 खनन पट्टे नवीनीकृत किये थे यद्यपि विभाग द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार वे ‘अरावली पहाड़ियों’ में अवस्थित थे। पट्टेधारियों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2017 के मध्य पट्टा क्षेत्रों से 16.22 लाख मै.टन खनिजों का उत्खनन किया था।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार सहमत थी (जुलाई 2016) कि उन्होंने अरावली पहाड़ियों में खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिये लम्बित आवेदनों के निस्तारण के लिये विभाग को निर्देशित किया था क्योंकि उनके अनुसार भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल 261 पट्टों के नवीनीकरण पर ही प्रतिबंध लागू किया गया था।

इसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 19 फरवरी 2010 के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसमें कहा गया था कि कुछ खनन पट्टों को राज्य में नवीनीकृत किया गया था, यद्यपि इस दिनांक को पारित आदेश के अनुसार यह किसी भी रूप में अनुमत्य नहीं था।

➤ राज्य सरकार ने 28 जनवरी 2011 से पूर्व अनुदानित विद्यमान अप्रधान खनिज पट्टों की मूल पट्टा अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष बढ़ा दी थी (28 जनवरी 2011)।

सात सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों¹⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 5,028.52 हैक्टर क्षेत्र में फैले हुये 50 पट्टे अक्टूबर 1996¹⁶ तथा मार्च 2036¹⁷ के मध्य समाप्त

¹⁴ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2008) में सम्मिलित स्थिति के अनुसार, 261 खनन पट्टों में 157 खनन पट्टे जहां 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात नवीनीकरण देय हुए लेकिन नवीनीकरण अनुदानित नहीं किए गए, 53 खनन पट्टे जहां 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात नवीनीकरण अनुदानित किए गए तथा 51 खनन पट्टे जो कि 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात अनुदानित किए गए, सम्मिलित है।

¹⁵ अलवर, जयपुर, कोटपूतली, नीम का थाना, राजसमन्द-I, राजसमन्द-II तथा उदयपुर।

¹⁶ एक प्रकरण (खनन पट्टा 4/95) में पट्टा 5 अक्टूबर 1976 से 4 अक्टूबर 1996 तक बीस वर्ष के लिए प्रभावी था। पट्टेधारी ने नवीनीकरण के लिए आवेदन (22 सितम्बर 1995)

होने थे। तथापि, इन पट्टों की मूल पट्टा अवधि बढ़ायी गयी और पट्टा अवधि अब मार्च 2019 तथा मार्च 2056 के मध्य समाप्त होगी। राज्य सरकार ने समस्त खनन पट्टों की पट्टा अवधियों में वृद्धि की इस पर विचार किये बिना कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में अवस्थित पट्टों में खनन संक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाया था।

खनन पट्टों की नमूना-जाँच के दौरान देखा गया कि तीन खनि अभियंता कार्यालयों¹⁸ के क्षेत्राधिकार में संचालित आठ पट्टों में पट्टा धारकों ने अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के दौरान 38.23 लाख मै.टन खनिजों का उत्खनन किया जिससे अरावली पर्वत श्रृंखला में पर्यावरण की अवनति हुई।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पट्टा अवधि को बढ़ाना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध गया।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेशों दिनांक 16 दिसम्बर 2002 तथा 19 फरवरी 2010 में मूल पट्टा अवधि की वृद्धि पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखना पड़ेगा कि अरावली पहाड़ियों में 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात खनन प्रतिबंधित थे। राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त अवधि विस्तार की वजह से अरावली पहाड़ियों में मूल पट्टा अवधि के परे भी खनन संक्रियाओं की निरंतरता रहेगी।

3.1.5.4 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनियमित पर्यावरणीय स्वीकृति

हरियाणा से राजस्थान तक अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों को निषिद्ध एवं प्रतिबंधित करने के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2002 के आदेश को, जहां तक कि राजस्थान राज्य से सम्बन्धित था, निम्न प्रभावानुसार संशोधित किया गया था (16 दिसम्बर 2002):

‘कथित राज्य में जहां कहीं भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं तथा लागू अधिनियमों या अधिसूचनाओं या न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत खनन को निषिद्ध नहीं किया गया है, खनन जारी रह सकेगा तथा ऐसे खनन के लिये पूर्वोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।’

किया। तथापि, नवीनीकरण अनुदानित नहीं किया गया क्योंकि खनन पट्टे का क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में अवस्थित था। सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली द्वारा तत्पश्चात खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार पट्टा अवधि 4 अक्टूबर 2026 तक 50 वर्ष के लिए बढ़ाई गई।

¹⁷ इसमें 30 वर्ष की मूल पट्टा अवधि के साथ दो पट्टों को शामिल किया गया था जिसे आगे 50 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया।

¹⁸ राजसमन्द-I, राजसमन्द-II तथा उदयपुर।

सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 37.64 हैक्टर में परिव्याप्त एक खनन पट्टा (7/1992) निकट ग्राम बुचारा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में मैसर्स श्री मोदी लेविगेटेड कॉओलिन प्राईवेट लिमिटेड, नीम का थाना के पक्ष में 25 जून 1996 से 24 जून 2016 तक की अवधि के लिये प्रभावशील था। यह पाया गया कि पट्टेधारी ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 16 दिसम्बर 2002 से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह पुष्टि करने के लिये कि क्या पट्टा क्षेत्र भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8 अप्रैल 2005 के आदेश की परिधि में आता था, पट्टाधारक से सीधे पूछताछ (नवम्बर 2005) की थी। पट्टाधारक ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित (2 दिसम्बर 2005) किया कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में अवस्थित नहीं था। पट्टेधारी के आवेदन (14 अक्टूबर 2005) की अनुक्रिया में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तत्पश्चात 31 जुलाई 2006 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की।

पत्रावलियों के परीक्षण में प्रकट हुआ कि सहायक खनि अभियंता ने 'सूचना के अधिकार' के एक आवेदन की अनुक्रिया में पुष्टि की थी (8 अक्टूबर 2009) कि पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में था। इसके अलावा, भू-वैज्ञानिक स्थलाकृतिक शीट के परीक्षण पर पाया गया कि पट्टा क्षेत्र के कंटूर में 100 मीटर से अधिक अन्तर था। पट्टेधारी ने 16 दिसम्बर 2002 से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी तथा पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में अवस्थित था। इस प्रकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति का जारी किया जाना अनियमित था तथा पट्टेधारी द्वारा की जाने वाली खनन संक्रियायें रोकना विभाग के लिये अपेक्षित था।

पट्टाधारक ने 25 जून 2010 से 31 मार्च 2017 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तथ्यों के गलत निरूपण के द्वारा 4.67 लाख मै.टन चायना क्ले तथा 0.05 लाख मै.टन सिलिका सैण्ड उत्खनित किया जिसके लिये पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना (27 जनवरी 1994) के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करना अपेक्षित था, जो विहित करता है कि वास्तविक आंकड़ों को छिपाना या गलत आंकड़ों या भ्रामक सूचना का प्रस्तुतीकरण परियोजना अस्वीकृति की ओर ले जायेगा अथवा यदि गलत आंकड़ों के आधार पर पूर्व में अनुदत्त अनुमोदन हो, उसको भी रद्द किया जायेगा।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों दिनांक 16 दिसम्बर 2002, 8 अप्रैल 2005 एवं 19 फरवरी 2010 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति अनुदत्त करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेधारी ने तथ्यों के गलत निरूपण के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की थी कि पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों

में अवस्थित नहीं था। आगे, पर्यावरणीय स्वीकृति 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात अनुदत्त की गई थी।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा।

- विभाग को, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन गतिविधियों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्रों एवं उनके आस-पास में खनन गतिविधियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को मजबूत करना चाहिये। अरावली की पहाड़ियों में न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन पर खनन की अनुमति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनुदानित एवं नवीनीकृत पट्टों को तुरन्त निरस्त किया जाना चाहिये।

3.1.6 खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में वर्णित पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव में मृदा क्षरण, गड्ढों का निर्माण, जैव विविधता की हानि एवं मृदा, भूजल और सतही जल का संदूषण शामिल है। वन क्षेत्रों में, खनन पारिस्थिकी तंत्र का विनाश एवं अव्यवस्था का कारण बन सकता है एवं कृषि के क्षेत्रों में यह उपजाऊ, चराई एवं फसल भूमि को परेशान या नष्ट कर सकता है। नगरीय वातावरण में, खनन ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक पट्टा धारक द्वारा खनित क्षेत्र को उसकी मूल अवस्था के पास लौटाया है खनन योजना अनुमोदन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति और संचालन की सहमति प्रदान करते समय कठोर पर्यावरणीय एवं पुनर्वासन शर्तें निर्धारित करती है।

खनन पट्टों की खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति की जांच ने प्रकट किया कि विभिन्न विनियमों में कतिपय प्रावधानों को प्राविधित किया गया था जिनको **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित किया गया है। जो निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में पूरा किया जाना था; ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पट्टाक्षेत्र में गारलैण्ड नाली, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, उत्खनित गड्ढों का पुनःस्थापन एवं पुनरूद्धार तथा बेन्चों में खनन।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में आए:

3.1.6.1 खनन गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान का अभाव

खान विभाग के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को सुनिश्चित किया जाना था कि पट्टेधारी ने खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार खनन कार्य किया था। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में प्रकट

हुआ कि विभाग ने खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित अनुसार पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित शर्तों के अनुपालन के बारे में सूचना प्रस्तुत करने हेतु पट्टाधारक के लिये अपेक्षित कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, सिवाय मासिक प्रतिवेदन के प्रपत्र जिसमें केवल खनन क्षेत्र में किए गए वृक्षारोपण की संख्या को सम्मिलित किया गया था। चयनित 136 पट्टाधारकों की रियायत एवं निर्धारण पत्रावलियों में मुख्यतः उत्खनित खनिज की मासिक विवरणियों और उनके निर्धारण इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख थे। परिणामस्वरूप, खान विभाग के पास पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन या इसके अभाव के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी पट्टाधारकों के लिए निरीक्षणों के माध्यम से संचालन की सहमति में वर्णित सभी शर्तों की अनुपालना की निगरानी करता है। चयनित 136 पट्टों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-15 के दौरान मानकों¹⁹ के अनुसार 228 निरीक्षण किए जाने वांछित थे, यह पाया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2010-15 के दौरान केवल 38 पट्टों के 50 निरीक्षण किये थे। यह भी देखा गया कि 2015-17 के मध्य केवल तीन निरीक्षण किए गए थे। आगे, केवल तीन पट्टाधारकों ने निर्धारित प्रतिवेदनों तथा वार्षिक पर्यावरणीय विवरण²⁰ को समय पर प्रस्तुत किया था। यह पाया गया कि 106 पट्टाधारकों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये और 118 पट्टाधारकों ने संचालन की सहमति की कार्यकारी अवधि के दौरान विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे।

पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण रक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन का आंकलन करने के लिये, चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों में 136 खनन पट्टों का, इसलिए हमने संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में ऊपर बताये हुये पर्यावरणीय मुद्दे शामिल थे। संयुक्त भौतिक निरीक्षण

¹⁹ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित खनन इकाईयों के निरीक्षण के मानदण्डों के अनुसार (जुलाई 2011), हस्तचालित खनन इकाईयों का पांच साल में एक बार, अर्द्धयांत्रिक खनन इकाईयों का दो साल में एक बार और यांत्रिक खनन इकाईयों का साल में एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य था। आगे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की संचालन नियमावली में निरीक्षणों की आवृत्ति को पुनः निर्धारित किया गया (2015-16)। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्मिकों को पचास हैक्टर्स क्षेत्रफल से बड़ी खानों का साल में एक बार, पांच से पचास हैक्टर्स के मध्य क्षेत्रफल वाली खानों का दो साल में एक बार और पांच हैक्टर्स से कम क्षेत्रफल वाली खानों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने थे।

²⁰ पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 14 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो एक उद्योग, संचालन या प्रक्रिया कर रहा है जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 या वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 या दोनों के अंतर्गत सहमति अपेक्षित है, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को या पहले 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र-V में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

के जांच-परिणामों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ भी सह-संबद्ध किया गया।

3.1.6.2 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच परिणाम

ऊपरी मृदा

ऊपरी मृदा बाह्यतम परत है और खनन क्षेत्रों में भूमि के पुनरूद्धार के लिये यह एक अनिवार्य घटक है। योजना चरण के दौरान, पट्टेधारी को ऊपरी मृदा की अनुमानित मात्रा, इसका भण्डारण क्षेत्र, स्थान और पश्चातवर्ती उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

136 पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि, 44 पट्टों (32 प्रतिशत) में ऊपरी मृदा का पृथक से भण्डारण नहीं था। इसके अलावा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ऊपरी मृदा का उपयोग जैसा आवश्यक था किया गया अथवा इसे अधिभार के साथ मिश्रित कर दिया गया। इस प्रकार, इन पट्टों में इनकी बहाली भविष्य में उपयोग हेतु संभव नहीं थी।

अधिभार ढेर

अधिभार प्राकृतिक चट्टान एवं मृदा है जो अयस्क पदार्थ के ऊपर और चारों ओर विद्यमान होता है। यह खान पर किसी भी रासायनिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं होती है परन्तु अयस्क तक पहुंच के लिये इसे हटाया जाना आवश्यक है। अधिभार को प्रायः खान बन्द करने के दौरान खनन स्थल पर परिदृश्य आकृति तथा पुनः वनस्पति के लिये उपयोग किया जाता है।

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि,

- 53 पट्टों में (39 प्रतिशत) अधिभार चिन्हित स्थल पर ढेर करने के बजाय पट्टा क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर एक बिखरे हुए रूप में ढेर किया जाना पाया गया।
- 81 पट्टों (60 प्रतिशत) में ढेर बिना किसी धरण दीवार के जमा किया जाना पाया गया।

वृक्षारोपण

प्रत्येक पट्टेदार को खनन के प्रत्येक प्रगतिशील वर्ष के साथ अपने पट्टे के क्षेत्र के आधार पर वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि भूमि की चरणवार बहाली, पुनरूद्धार और पुनर्वास हो सके।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर यह पाया गया कि:

- 80 पट्टेधारियों को परिपत्र के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 13,800 पौधे लगाने थे, उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण नहीं करवाया गया।

- 32 पट्टेधारियों ने वांछित 1,83,850 पौधों के विरुद्ध करीब 1,38,100 पौधे लगाए थे।
- शेष रहे 24 पट्टेधारियों ने दावा किया कि वृक्षारोपण इनके पट्टा क्षेत्र से अलग क्षेत्र में किया गया था जैसे स्कूल की चारदीवारी के पास, मंदिर के पास उपलब्ध क्षेत्र में, सड़क के किनारे, क्रशर क्षेत्र आदि में। तथापि, किसी दस्तावेजों के प्रमाण के अभाव में वृक्षारोपण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

गारलैन्ड नाली का निर्माण

गारलैन्ड नाली का निर्माण मृदा, अधिभार और खनिज के ढेर से गाद एवं तलछट के प्रवाह को रोकने के लिये खनन गड्ढे एवं अधिभार ढेर के चारों तरफ किया जाता है।

चयनित 136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 123 पट्टाधारकों (90 प्रतिशत) ने पर्यावरण सहमति/संचालन की सहमति में वर्णित शर्तों के विपरीत उनके खनन क्षेत्र में खनन पट्टों के चारों तरफ किसी गारलैन्ड नाली का निर्माण नहीं किया था।

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 105 खनन पट्टेधारियों (77 प्रतिशत) द्वारा खनन स्थल पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी से सम्बन्धित अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।
- निरीक्षण के दिन 74 खनन पट्टों (54 प्रतिशत) में हॉल रोड के साथ-साथ लदान वाले बिन्दु पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया था।
- पानी छिड़काव प्रणाली की स्थापना किसी भी पट्टा क्षेत्र में नहीं की गई सिवाय एक खनन पट्टे के जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा धारित खनन कम्पनी थी। शेष रहे पट्टों में, पानी का छिड़काव पानी के टैंकरों द्वारा किये जाने का दावा किया गया था। तथापि, पट्टेधारियों के पास पट्टा क्षेत्र में पानी के छिड़काव की आवधिकता को दर्शाने हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- 21 निरस्त एवं दो अभ्यर्पित पट्टा स्थल पर निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण उपायों से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- निरीक्षण के दिन 112 पट्टेधारियों के पास सिवाय कार्यालय खनि अभियंता, उदयपुर के खनन पट्टा संख्या 03/89 के, परिवेशी वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिये खनन पट्टा स्थल पर कोई उपकरण नहीं था। इस प्रकार, खनन पट्टा स्थल पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की जांच के अभाव में एवं वायु गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रतिवेदनों की उपलब्धता नहीं होने से, खनन क्षेत्रों में वायु प्रदूषकों की मात्रा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय

चयनित 113 परिचालित पट्टों²¹ में ध्वनि स्तर को जांचने में लेखापरीक्षा असमर्थ रहा क्योंकि सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों में ध्वनि स्तर को जांचने हेतु कोई उपकरण नहीं थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि केवल सात पट्टेधारियों के पास ध्वनि निगरानी प्रतिवेदन थे। आवधिक ध्वनि निगरानी प्रतिवेदनों के अभाव में, पट्टा क्षेत्रों में अनुमत्य ध्वनि स्तर के उल्लंघन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

खनित गड्ढों का पुनर्वास एवं पुनरूद्धार

पट्टेदार द्वारा खनित गड्ढों के पुनरूद्धार का उद्देश्य खनित क्षेत्रों के चरणबद्ध रूप से बहाली, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास प्रारम्भ किया जाना है ताकि जमीन को उत्पादन उपयोग के स्वीकार्य स्तर तक वापस लाया जा सके।

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- जांचे गए 24 संचालित पट्टों में से 23 पट्टों के पट्टाधारकों जिनके पास पांच अथवा अधिक हैक्टर से ज्यादा के क्षेत्र थे, के द्वारा खनित गड्ढों का चरणबद्ध रीति से पुनरूद्धार एवं पुनर्वास का कार्य पट्टा क्षेत्रों में नहीं किया गया था तथा बताया गया कि यह कार्य खान बन्द होने के बाद किये जायेंगे। शेष एक पट्टा (3/89) भूमिगत खान थी। इस प्रकार, इन पट्टेधारियों ने नियमों के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति में वर्णित शर्तों का उल्लंघन किया था।
- 89 पट्टाधारकों जिनके पास पांच हैक्टर से कम पट्टा क्षेत्र थे, के द्वारा पुनरूद्धार कार्य नहीं किया गया एवं बताया गया कि पुनर्वास एवं पुनरूद्धार कार्य खान बंद होने के पश्चात किया जायेगा।

बेन्चों में खनन

श्रमिकों की सुरक्षा के साथ-साथ वाहनों तथा गड्ढे से खोदे जाने वाले खनिज के मुक्त संचालन के लिये बेन्चों को बनाना अपेक्षित है। बेन्चों में खनन, दुर्घटना तथा सामग्री गिरावट के खतरे को कम करता है।

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 90 पट्टों (66 प्रतिशत) में खनन संक्रियायें बेन्चों के निर्माण के बिना की गई थी। यह खान नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था और सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंताओं द्वारा इन पट्टाधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

²¹ 23 निरस्त/अभ्यर्पित पट्टों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि खनन संचालन बन्द होने के कारण खनन स्थल पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

अध्ययन प्रकरण: बेन्चों में खनन



खनन पट्टा संख्या: 304/92
खनिज: मैसनरी स्टोन
क्षेत्र: 1 हैक्टर
पट्टा अवधि: 14 अक्टूबर
1993 से 13 अक्टूबर 2023
तक
स्थान: जयपुर

खनन योजना

➤ खान को, औसत उंचाई (तीन से छह मीटर) एवं चौड़ाई (सात से 65 मीटर) की बनी हुई बेन्चों के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986

- खनन पट्टों में काम करने की व्यवस्था बेन्चों के निर्माण के द्वारा की जायेगी।
- खनिज एवं अधिभार मय वैदर्ड खनिज में अलग-अलग बेन्चों का निर्माण किया जायेगा।
- धातु खान नियम 1961 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा बेन्चों की उंचाई तथा ढलान का संधारण किया जायेगा तथा सम्पूर्ण ढलान 45 डिग्री से कम कायम रखा जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा किया गया संयुक्त भौतिक निरीक्षण

संयुक्त भौतिक निरीक्षण 5 जनवरी 2016 को किया गया एवं यह पाया गया कि:

- खनन कार्य बेन्चों के निर्माण के बिना किया गया था।
- खान में समस्त ढलान निर्धारित ढलान से ज्यादा थी।

उचित ढंग से तैयार की गई बेन्चों का अच्छा उदाहरण



खनन पट्टा संख्या: 06/89
मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड मट्टन
माईन्स, उदयपुर
खनिज: रॉक फॉस्फेट

3.1.6.3 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की 38 निरीक्षण प्रतिवेदनों के जांच परिणामों से क्रॉस सत्यापन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की 38 पट्टों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच से प्रकट हुआ कि आठों पर्यावरणीय मुद्दों के घटकों में अंतर था जैसे ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, पट्टा क्षेत्र में गारलैंड नाली, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, उत्खनित गड्ढों का पुनर्वास एवं पुनरूद्धार और बेन्चों में खनन।

निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की रिपोर्टिंग में भिन्नता थी:

- पट्टा क्षेत्र में ऊपरी मृदा की उपलब्धता एवं इसका भण्डारण।
- पट्टा क्षेत्र में अधिभार ढेरों का चिन्हित स्थलों पर ढेर लगाना और अधिभार ढेरों को पेड़-पौधों के माध्यम से स्थिर करना।
- पट्टाधारकों द्वारा उनके पट्टा क्षेत्र में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृक्षारोपण नहीं किया जाना एवं गलत विवरण देना।
- पट्टा क्षेत्र में बेन्चों के विकास के बिना खनिज उत्खनन किया जाना आदि।

इनकी परिचर्चा **परिशिष्ट 3.3** में की गई है।

3.1.6.4 एकशन टेकन

मामला सरकार एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित खनि अभियंता /सहायक खनि अभियंता कार्यालयों को पट्टेधारियों को नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था जिन्होंने ऊपरीमृदा का पृथक से ढेर और अधिभार को चिन्हित स्थल पर जमा नहीं किया, जहां वृक्षारोपण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था, गारलैंड नाली का निर्माण नहीं किया था, खनित गड्ढों का पुनरूद्धार एवं पुनर्वास नहीं किया और जहां संयुक्त भौतिक निरीक्षण के पश्चात भी बेन्चों का निर्माण नहीं किया था। सरकार ने उत्तर दिया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों से सम्बन्धित रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालनकर्ता खनन पट्टेधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके थे।

सचिव, खान एवं पेट्रोलियम और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि नियमों का उल्लंघन हुआ था और कहा कि मण्डल के लिए मानवशक्ति की कमी के कारण प्रत्येक एवं सभी खानों की निगरानी करना संभव नहीं है। मण्डल के सदस्य सचिव ने कहा कि मण्डल खानों की निगरानी सार्वभौमिक स्थिति प्रणाली से करने जा रहा है। सचिव ने यह भी कहा कि पट्टेधारियों द्वारा पर्याप्त वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा था। आगे,

निदेशक खान एवं भू-विज्ञान ने कहा कि चट्टानी इलाकों के कारण पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र में और आस-पास पेड़ लगाना संभव नहीं था और इसलिए पास की सड़क, विद्यालय आदि स्थानों पर समूह में पौधे लगाये गये थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वृक्षारोपण पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति/खनन योजना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए था और यह स्पष्ट रूप से सत्यापित होना चाहिए।

विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पट्टाधारकों के लिए विहित शर्तों के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों की पूर्ति हेतु आवधिक प्रतिवेदनों/बहुधा निरीक्षणों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

3.1.7 पर्यावरण रक्षण से सम्बन्धित कोषों का प्रबंधन

राज्य सरकार ने वित्तीय आश्वासन राशि स्थल पुनर्वास, बंद उपरांत निगरानी एवं परियोजना के रख-रखाव के लिए अमानत के रूप में प्राप्त की थी; पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकरण का आरोपण खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षण के उपयोग हेतु किया जाना था और पर्यावरण प्रबंधन कोष के लिए संग्रहित अंशदान पर्यावरण रक्षण कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु था। निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

3.1.7.1 वित्तीय आश्वासन

जमा कराये जाने वाली अमानत राशि की संगणना खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिये प्रयोग में लाये गये क्षेत्र के आधार पर की जाती है। खानों के लिये वित्तीय आश्वासन की राशि निम्न प्रकार है:

प्रधान खनिज खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 23(एफ) के अनुसार		अप्रधान खनिज राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37(जे) के अनुसार (अंतर्निविष्ट 19 जून 2012)
'क' ²² श्रेणी खाने प्रति हैक्टर	'ख' श्रेणी खाने प्रति हैक्टर	प्रति हैक्टर एवं उसके भाग पर
₹ 25,000	₹ 15,000	₹ 15,000
किसी अनुसूचित बैंक के प्रत्यय-पत्र के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम राशि 'क' श्रेणी के खानों के लिए ₹ दो लाख तथा 'ख' श्रेणी के खानों के लिए ₹ एक लाख होगी। अप्रधान खनिजों के लिए अधिकतम वित्तीय आश्वासन राशि ₹ 30 लाख है।		

²² 'क' श्रेणी खानों से अभिप्राय पूर्णतः यांत्रिक खानों से है जहां गहरे छिद्र वेधन, उत्खनन, लदान और परिवहन के कार्य भारी खनन मशीनरी लगाकर किए जाते हैं या ऐसी खाने जहां औसत नियोजन 150 से अधिक है। 'ख' श्रेणी खानों से अभिप्राय 'क' श्रेणी खानों से भिन्न खानों से है।

सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के 288 चयनित खनन पट्टों के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि चार पट्टाधारकों ने, जिनके पास 17.82 हैक्टर क्षेत्र था, वित्तीय आश्वासन के ₹ 0.60 लाख जमा नहीं करवाये थे।

इसके अतिरिक्त, चयनित 35 निरस्त/अभ्यर्पित पट्टों की जांच में यह पाया गया कि:

➤ 20 पट्टेधारियों ने जिनके पास 29.69 हैक्टर क्षेत्र था जिनके खनन पट्टे निरस्त/अभ्यर्पित किये जा चुके थे, वित्तीय आश्वासन के ₹ 3.00 लाख जमा नहीं करवाये थे। अतः इन पट्टों के पुनःस्थापन का भार राज्य के खजाने से वहन करना पड़ेगा।

➤ छः निरस्त खनन पट्टों जिनमें सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंताओं द्वारा पुनःस्थापन के कार्य नहीं करवाये गये जिसमें पट्टेधारियों द्वारा वित्तीय आश्वासन राशि ₹ 3.45 लाख जमा करवायी गई थी। इनको कोषों के उपयोग के लिये स्पष्ट निर्देशों के अभाव में उपयोग नहीं किया गया।

निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि इस राशि का उपयोग पट्टा क्षेत्र में खनित गड्ढों के पुनःस्थापन के लिये किया जायेगा।

3.1.7.2 पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर

राज्य सरकार ने चयनित प्रधान खनिजों पर 2008 में 'पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर' का आरोपण किया। उपकर के आगमों को विशेष रूप से राज्य के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के रक्षण और पारिस्थितिकी सन्तुलन के रख-रखाव के लिये उपयोग किया जाना था। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के आगमों को संग्रहित करने के लिए दरे निर्धारित की गई थी और 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी थी तथा समय-समय पर दरों को पुनरीक्षित किया गया था।

राज्य सरकार ने 2008-09 से 2016-17 के दौरान चयनित प्रधान खनिजों के पट्टाधारियों से ₹ 544.48 करोड़ उपकर संग्रहित किया था। तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2017 से उपकर के संग्रहण को रद्द कर दिया था।

राज्य सरकार ने कोषों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक मण्डल का गठन (24 दिसम्बर 2010) किया था। यह पाया गया कि उपकर 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी हुआ परन्तु राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक मण्डल का गठन 23 दिसम्बर 2010 तक नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 2008-09 से 2010-11 के दौरान कोष का उपयोग नहीं किया गया। आगे, 2011-12 से 2016-17 के दौरान कोष में से केवल ₹ 140.53 करोड़ (25.81 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

जनवरी 2011 और जनवरी 2017 के मध्य राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक मण्डल की बारह आयोजित बैठकों के मिनट्स की जांच करने पर पाया गया कि:

➤ बोर्ड ने जिन गतिविधियों के लिये कोष स्वीकृत किया था वह पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों से सम्बन्धित नहीं थी जैसा राजस्थान वित्त अधिनियम 2008 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों में निर्धारित है। बोर्ड ने अपनी सातवीं व नवीं बैठक जो क्रमशः 7 अप्रैल 2014 और 23 दिसम्बर 2014 को हुई थी, में भी स्वीकार किया कि उपकर राशि से व्यय करने के लिये जारी की गई कुछ स्वीकृतियां अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। अधिनियम के उद्देश्यों जैसा कि मकराना-परबतसर रेल्वे लाईन का स्थानान्तरण और इसके लिये भूमि की लागत का भुगतान और निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण।

मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सभी खर्च, मण्डल की बैठकों और मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावों की जांच के बाद लिए गए निर्णयों के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में आक्षेपित वस्तुओं पर किया गया खर्च, पर्यावरण व स्वास्थ्य उपकर के उद्देश्यों के विपरीत था। मण्डल ने भी अपनी बैठकों में स्वीकार किया था कि कुछ जारी की गई स्वीकृतियां अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। संयुक्त सचिव, खान ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि अव्ययित कोष का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया जायेगा जिन उद्देश्यों के लिये संग्रहित किया गया था।

3.1.7.3 पर्यावरण प्रबंधन कोष

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37 टी(5) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 19 जून 2012 अंतर्निविष्ट की गई जिसमें पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार पर्यावरण रक्षण कार्यों को करवाने के लिये वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक पृथक कोष का सृजन किया गया।

➤ पर्यावरण प्रबंधन कोष, पर्यावरण विकास कार्य हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा सम्बन्धित क्लस्टर के संघ या अभिकरण जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया था, आवंटित किया जाना था। डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11584/2013 में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक पर्यावरण प्रबंधन कोष का संग्रहण अवैध घोषित किया (9 अप्रैल 2015)। राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने 5 मई 2015 को पर्यावरण प्रबंधन कोष संग्रहण तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह पाया गया कि विभाग द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कोष के रूप में राशि ₹ 295.03 करोड़ संग्रहित की गई। तथापि, पर्यावरण रक्षण कार्यों को कराये जाने हेतु राशि का उपभोग नहीं किया गया

क्योंकि निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने राशि व्यय करने के लिये दिशा-निर्देश तैयार नहीं किये थे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने राज्य सरकार से अधीनस्थ कार्यालयों को वृक्षारोपण के लिये पर्यावरण प्रबंधक कोष के अन्तर्गत ₹ 14 करोड़ के कोष आवंटित करने का अनुरोध किया था।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि दिशा-निर्देश तैयार करने के बाद राशि का उपयोग कर लिया जायेगा।

➤ विभाग पट्टेधारकों से वित्तीय आश्वासन राशि का संग्रहण सुनिश्चित कर सकता है और जहां कहीं भी पट्टेधारक पुनरूद्धार एवं पुनर्वासि उपायों को कार्यान्वित करने में असफल रहता है तो एकत्रित वित्तीय आश्वासन राशि को खनन क्षेत्र में बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

➤ उपकर राशि का केवल उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया जाना चाहिये जो उन उद्देश्यों से मिलते हों जिनके लिये सरकार द्वारा उपकर आरोपित किया गया था।

3.1.8 निष्कर्ष

हमने पाया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना खनिज उत्पादन को बढ़ाया गया और संचालन की सहमति बिना नवीनीकृत किये खानों को संचालित किया गया। पट्टेधारकों द्वारा संचालन की सहमति के साथ संलग्न शर्तों के उल्लंघन में खनिजों का अधिक उत्खनन किया गया।

हमने पाया कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियां अनियंत्रित रूप से हो रही थी। अवैध खनन के पता चले प्रकरणों में फॉलोअप के साथ-साथ निवारण उपायों की अपर्याप्तता थी। अवैध खननकर्ताओं को नोटिस जारी करने, मांग प्रस्तुत करने एवं दण्डात्मक राशि की वसूली में विलम्ब के कारण प्रतिरोध की भी कमी थी। अवैध खनन को रोकने के लिये 2011 में अभिव्यक्त नीतिगत उपायों को लागू करने में भी शिथिलता थी।

हमने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के गंभीर उल्लंघन पाये जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित खनन पट्टों को अनुदानित, नवीनीकृत एवं अभिवृद्धित किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में अवस्थित होने के बावजूद खनन पट्टे के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

हमने पाया कि खनन गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया था। विभाग ने खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित शर्तों की अनुपालना के बारे में सूचना प्रस्तुत करने

के लिये पट्टेधारियों के लिये वांछित किसी प्रकार की आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी। विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया। हमने पाया कि चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के 136 पट्टों में से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2010-17 के दौरान केवल 38 पट्टों के निरीक्षण किये थे। इसके अलावा, संचालन की सहमति की कार्यकारी अवधि के दौरान 106 पट्टेधारको ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे और 118 पट्टेधारको ने वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे। आगे, निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण, गलत एवं अविश्वसनीय थे जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच-परिणामों तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना के माध्यम से सुनिश्चित हुआ। भौतिक निरीक्षण ने ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन्स के निर्माण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के उपाय और बेन्चेज में खनन से सम्बन्धित पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने में गंभीर कमियों एवं उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया।

हमने पाया कि चार पट्टेधारकों और 20 पट्टेधारको जिनके पट्टे निरस्त/अभ्यर्पित किये गये थे, से अनिवार्य वित्तीय आश्वासन राशि की वसूली नहीं की गई थी। स्पष्ट निर्देशों के अभाव में छः पट्टेधारकों से जमा वित्तीय आश्वासन राशि व्यय नहीं की जा सकी। आगे, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर का केवल 25.81 प्रतिशत 2011-17 के दौरान व्यय किया गया। कोष ऐसे कार्यों के लिये स्वीकृत किये गये जो उन उद्देश्यों से मेल नहीं खाते थे जिनके लिये उपकर एकत्रित किया गया था। विभाग ने पर्यावरण प्रबन्धन कोष ₹ 295.03 करोड़ भी एकत्रित किया था परन्तु व्यय करने के लिये किसी मार्गदर्शिका के अभाव में उसे उपयोग नहीं किया जा सका।

वन विभाग

3.2 राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास

3.2.1 परिचय

राज्य सरकार द्वारा रिग्रेडेड (परिभ्रांषित) वनों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना “राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास” बनाई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया था। ₹ 988.56 करोड़ की लागत से 1,59,000 हैक्टर परिभ्रांषित वनों का उपचार करने की योजना बनाई गई थी। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान परियोजना के प्रथम चरण में राशि ₹ 336.66 करोड़ रुपये की कुल लागत से 52,750 हैक्टर परिभ्रांषित भूमि का उपचार परिकल्पित था। परियोजना की मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन वन विभाग और ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के मध्य एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाना था। इस परियोजना को कुल 33 जिलों में से चयनित 17 जिलों²³ में क्रियान्वित किया गया था।

परियोजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन और निष्पादन के दौरान 2012-13 से 2016-17 में ₹ 311.38 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था और परियोजना की विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 289.61 करोड़ का व्यय किया गया था। 2012-13 से 2016-17 के दौरान गतिविधि-वार भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

3.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अभिलेखों की लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य वन संरक्षक; प्रधान वन फोर्स; उप वन संरक्षक, नाबार्ड; राज्य सरकार के वित्त विभाग (व्यय प्रभाग); अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (विकास/प्रबोधन/परियोजना निर्माण/नाबार्ड) और उप वन संरक्षकों की अध्यक्षता वाले सात खण्डों²⁴ जिन्हे स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति को अपनाकर 29 प्रभागों में से चुना गया था, के कार्यालयों में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि को आवृत्त करते हुए संचालित की गयी। इसके अलावा, चुने गए कार्यस्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ निष्पादित कार्यों के सत्यापन हेतु किया गया था। लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए संचालित की गई थी कि विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी ढंग से निष्पादन और आवश्यक प्रबोधन और मूल्यांकन किया गया था।

²³ अजमेर, अलवर, बांरा, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सर्वाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर

²⁴ अजमेर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.3 सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी

परियोजना के दिशा-निर्देशों में बताया गया था कि प्रारम्भ से ही आवश्यकता पर आधारित और विकास की एक इकाई के रूप में एक गांव को ले कर क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं को सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के माध्यम से तैयार किया जाएगा। तैयार की गई सूक्ष्म योजनाओं की ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति²⁵ की बैठकों में चर्चा की जाएगी और सम्बन्धित उप वन संरक्षक के द्वारा अनुमोदित की जायेगी। एक बार तैयार की गई सूक्ष्म योजना पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी। तथापि, सूक्ष्म योजना की समीक्षा दो वर्षों के बाद की जाएगी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित बिन्दु देखे गये:

- 172 सूक्ष्म योजनाओं को चयनित खण्डों में तैयार किया गया था, जिसमें से 12 सूक्ष्म योजनाओं²⁶ के अनुमोदन की तारीख सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। सम्बन्धित परियोजनाओं पर ₹ 3.37 करोड़²⁷ का व्यय किया गया था।
- 145 प्रकरणों में सूक्ष्म योजनाओं की समीक्षा दो साल बाद नहीं की गई थी।
- उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान (मु.रा.उ.), कोटा में पांच मामलों में सूक्ष्म योजनाओं के अनुमोदन (मार्च 2016) से पहले कार्य निष्पादित किया गया था।
- उप वन संरक्षक, अजमेर और बूंदी के मामले में यह पाया गया कि 19 प्रकरणों²⁸ में सूक्ष्म योजनाओं के अनुमोदन की तारीखें सम्बन्धित ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समितियों के पंजीकरण की तारीखों से पहले की थी। विभिन्न प्रकार की मृदा और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तथापि, स्थल उपयुक्तता और संरचनाओं की प्रकृति के चयन के समर्थन में सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

3.2.4 वनीकरण

3.2.4.1 वनीकरण के लिए भूमि के वर्गीकरण का अभाव

परियोजना के प्रथम चरण में 52,750 हैक्टर परिभ्रांषित भूमि को उपचार के लिए लिया गया। परियोजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, परिभ्रांषित भूमि को विशिष्ट

²⁵ फोरेस्ट मेनुअल (राजस्थान सरकार) के प्रावधानों के अनुसार, उप वन संरक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी इन समितियों का पंजीयन करेगा।

²⁶ उप वन संरक्षक भरतपुर: 4 एवं राजसमंद: 8

²⁷ उप वन संरक्षक राजसमंद ₹ 2.88 करोड़ एवं उपवन संरक्षक भरतपुर ₹ 0.49 करोड़

²⁸ उप वन संरक्षक अजमेर: 2, बूंदी: 17

क्षेत्रों में सघनता के आधार पर परिभ्रांषित वन-प्रथम का पुनर्वास (आरडीएफ-I), परिभ्रांषित वन-द्वितीय का पुनर्वास (आरडीएफ-II), सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण एवं पंचायत भूमि वृक्षारोपण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना था।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि योजना बनाते समय उपरोक्त श्रेणियों (परिभ्रांषित वन-I का पुनर्वास, परिभ्रांषित वन-II पुनर्वास एवं सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण) में वनीकरण के लिए वन भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया था। वर्गीकरण का विस्तृत विवरण न तो परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध था न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया, जिसके अभाव में परिभ्रांषित वन भूमि के वर्गीकरण की सत्यता एवं प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.2.4.2 तकनीकी मानदंडों के अवलंबन का अभाव

➤ पांच खण्डों²⁹ के 19 कार्य-स्थलों पर ₹ 2.47 करोड़³⁰ का व्यय किया जाकर सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण कार्य निष्पादित किए गए। मॉडल अनुमानों के मद संख्या 4 पर सम्मिलित कार्य “सिंगलिंग एवं टेंडिंग³¹” जो कि वृक्षारोपण की उचित वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक था, का न तो निष्पादन किया गया एवं न ही निष्पादित नहीं किये जाने के कोई तकनीकी कारण ज्ञापित किए गए थे। यह भी पाया गया कि मॉडल अनुमानों से विचलन के लिए अगले उच्चतम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण स्थलों पर आवश्यक रूट स्टॉक को सुनिश्चित नहीं किया जा सका एवं सिंगलिंग एवं टेंडिंग का उद्देश्य विफल रहा।

➤ रोगों एवं कीटों के खतरों से वानिकी उपज संरक्षण एवं उसकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बीज परीक्षण आवश्यक है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेशानुसार, बीज क्रय से पहले आवश्यक परीक्षण के लिए बीजों के नमूनों को भेजा जाना चाहिए। एकत्रित बीजों का बीज अंकुरण परीक्षण आवश्यक था एवं बीज खरीद के सम्बन्ध में भुगतान एकत्रित/बीज क्रय में गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात किया जाना था। सात खण्डों में अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि रेंज कार्यालयों को खंडीय कार्यालय द्वारा ₹ 6.74 लाख के अवमानक बीज एवं ₹ 17.08 लाख के बीज प्रयोगशाला परीक्षण के बिना वितरित किये गये (*परिशिष्ट 3.5*)। लेखापरीक्षा आक्षेप के जवाब में, उप वन संरक्षक अजमेर ने कहा (मार्च 2017) कि वन वर्धन अधिकारी के पूर्वोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ ने

²⁹ उप वन संरक्षक भरतपुर, बूंदी, (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

³⁰ उप वन संरक्षक भरतपुर: ₹ 25.93 लाख; बूंदी: ₹ 78.35 लाख; (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा: ₹ 12.52 लाख प्रतापगढ़: ₹ 101.19 लाख; राजसमंद: ₹ 29.42 लाख

³¹ सिंगलिंग अर्थात् बहु-तनों को हटाना एवं टेंडिंग अर्थात् अनावश्यक छोटे पौधों को हटाना। ये क्रिया-कलाप जड़ों की प्रतिस्पर्धा एवं जलीय प्रस्वेदन हानि कम करने और प्रकाशीय स्थितियों में सुधार हेतु अपेक्षित है।

अवगत कराया कि वृक्षारोपण कार्य को पूरा करने के लिए सीमित समयसीमा को देखते हुए बीज अंकुरण परीक्षण नहीं किये जा सके। उप वन संरक्षक कोटा, राजसमंद, बूंदी, भरतपुर एवं (वन्य जीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा के उत्तर प्रतीक्षित रहे।

➤ प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने तकनीकी अनुमानों के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किये जाने हेतु निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी किए (अक्टूबर 2002)। वृक्षारोपण से सम्बन्धित विकास कार्य के प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से विस्तृत तकनीकी नोट, मानचित्र और अनुमान शामिल होने चाहिए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन खण्डों³² में आरडीएफ-I, आरडीएफ-II एवं सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण के 29 स्थलों³³ के मामलों में तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व ही वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ एवं भुगतान कर दिया गया था (परिशिष्ट 3.6)। पूर्वोक्त प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व वृक्षारोपण कार्य का प्रारम्भ किया जाना अनियमित एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किए निर्देशों के विपरीत था।

➤ वन विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार डेढ़ वर्ष की आयु एवं एक से डेढ़ मीटर आकार के पौधे वृक्षारोपण हेतु परिपक्व माने जाएंगे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं सूचनाओं की समीक्षा में पाया कि उप वन संरक्षक, बूंदी में कार्य-स्थल सौरण ए पर आरडीएफ-I के अंतर्गत केवल पांच माह के अपरिपक्व पौधे लगाए गए। इसी प्रकार उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ में आरडीएफ-II के अंतर्गत पानीघाटा, आरडीएफ-I के अंतर्गत नयन वडली खेडा-III व खानकुडी एवं सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण के अंतर्गत चितरीमाता में चार से सात माह की आयु के पौधे लगाए गए। उप वन संरक्षक, भरतपुर के प्रकरण में आठ कार्य-स्थलों³⁴ पर पांच से सात माह की आयु के पौधे लगाए गए। विभाग ने ₹ 2.26 करोड़ (उप वन संरक्षक बूंदी: ₹ 26.94 लाख; प्रतापगढ़: ₹ 75.65 लाख; भरतपुर: ₹ 123.53 लाख) का व्यय अपरिपक्व पौधों के पौधारोपण पर किया। अपरिपक्व पौधे चराई के लिए कमजोर होते हैं और इनकी मृत्यु की अधिक आशंका रहती है। लेखापरीक्षा आक्षेप के उत्तर में विभाग ने सूचित किया कि पौधों की मृत्युदर उप वन संरक्षक, बूंदी: (1 स्थल) 15 प्रतिशत; प्रतापगढ़: (4 स्थल) 30 से 48 प्रतिशत एवं भरतपुर: (8 स्थल) 40 से 50 प्रतिशत थी। ऐसी उच्च मृत्युदर के कारणों के निर्धारण हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

³² उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

³³ उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा: 2, उप वन संरक्षक राजसमंद: 19, प्रतापगढ़: 8

³⁴ आरडीएफ-I: बिलौद, आरडीएफ-II: कानकांचल, गोगेरा-I, बोलखेड़ा, कानकांचल-II, सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण: मनसापुरार, माटीया पहाड, पंचायत भूमि वृक्षारोपण: राजपुरा-II

3.2.5 मृदा और जल संरक्षण संरचनाएं

3.2.5.1 मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में सूक्ष्म योजना से विचलन

चयनित खण्डों³⁵ के अभिलेखों की समीक्षा में हमें सूक्ष्म नियोजन से विचलन के प्रकरण मिले। यह देखा गया कि प्रारंभिक रूप से विशिष्ट स्थानों पर प्रस्तावित राशि ₹ 2.14 करोड़ के 33 कार्यों के स्थान पर खण्डों द्वारा राशि ₹ 1.21 करोड़ के 28 कार्य मूल रूप से प्रस्तावित कार्य स्थलों से भिन्न क्षेत्रों में निष्पादित किए गए थे। इसलिए, परियोजना कार्यों का क्रियान्वयन प्रासंगिक सूक्ष्म योजना के अनुसार नहीं किया गया था। इस प्रकार के कार्यों का विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

3.2.5.2 गठित समिति से स्वीकृति प्राप्त किए बिना मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म जल संग्रहण आधारित योजनाओं के भली भांति नियोजन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति (अगस्त 2011) का गठन किया था। समिति में वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। समिति की स्वीकृति के बिना किसी भी परियोजना पर विचार नहीं किया जाना था। जल संसाधन विभाग ने भी यह स्पष्ट किया (जून 2012) कि एनिकट्स/जल संचयन संरचनाओं, चैक डेम के निर्माण से पूर्व संरचनाओं की ऊंचाई एवं भराव क्षमता निर्धारण हेतु समिति की सहमति आवश्यक होगी।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि सात खण्डों में 419 चेकडेम, टाईप II के 56 एनिकट, टाईप III के 29 एनिकट एवं 76 वाटर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण जिसमें ₹ 8.87 करोड़ का व्यय निहित था (**परिशिष्ट 3.8**) समिति की सहमति लिए बिना किया गया था।

लेखापरीक्षा आक्षेप के जवाब में उप वन संरक्षक, कोटा ने अवगत कराया (फरवरी 2017) कि निर्मित संरचनाओं की ऊंचाई दो मीटर ऊंचाई से कम थी एवं उनका निर्माण जल संरक्षण के स्थान पर मृदा संरक्षण हेतु किया गया था; उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मु.रा.उ., कोटा ने अवगत कराया (मई 2017) कि निर्मित संरचनाएं दो मीटर ऊंचाई से कम की थी एवं किसी जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थी। अतएव समिति की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

दो मीटर की ऊंचाई वाली संरचनाओं के बारे में विभाग का तर्क प्रासंगिक नहीं था क्योंकि वन विभाग अपने स्वयं के आदेशों में पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि संरचनाओं की ऊंचाई पर ध्यान दिए बिना पूर्वोक्त समिति की स्वीकृति प्राप्त

³⁵ उपवन संरक्षक भरतपुर, बूंदी, कोटा, उपवन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

की जानी थी। इसके आगे विभाग ने यह भी उत्तर दिया कि जल संरक्षण के स्थान पर मिट्टी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया था। यह भी मान्य नहीं है क्योंकि चेक डेम, एनिकट II, एनिकट III और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पैकेज संख्या तीन का हिस्सा था और मिट्टी और नमी संरक्षण से सम्बन्धित था।

3.2.6 संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियां

संयुक्त वन प्रबंधन के लिए ग्राम-वार ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति का गठन किया जाना था। उप वन संरक्षक या समकक्ष अधिकारी इस समिति को पंजीकृत करेंगे और ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति एक अद्यतन सदस्य पंजिका का संधारण करेगी। ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति की कम से कम 33 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। इसके अतिरिक्त महिला उपसमिति गठित की जाएगी और कार्यकारी समिति में कम से कम एक मुख्य पद पर महिला होगी। कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इस अवधि की समाप्ति के बाद नए चुनाव होंगे। ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सामान्य बैठकों का आयोजन करेगी और क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के राजस्व से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे।

चयनित खण्डों में गठित 183 ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति में यह देखा गया कि:

- 2012-13 से 2016-17 के दौरान, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की गतिविधियों का संचालन करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 41 ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति को ₹ 30.99 लाख आवंटित किये गये थे। यह देखा गया कि ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति को आवंटित राशि स्वयं सहायता समूहों को वितरित नहीं की गई थी, जिसके कारण आय सृजन गतिविधियां संचालित नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि विभाग में अवरूद्ध राशि की वसूली करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की गई थी।
- 53 मामलों में से 28 मामलों³⁶ में (उप वन संरक्षक, बूंदी: 37 और कोटा: 16) ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या, महिलाओं की निर्धारित कुल संख्या से कम थी। 16 मामलों³⁷ में महिला उप समितियां या तो गठित नहीं की गई थी अथवा समितियों में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी। जिसके फलस्वरूप संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- सभी 183 मामलों में, कार्यकारी समितियों के कार्यकाल के पूरा होने के बाद हुए चुनावों की तिथियां उपलब्ध नहीं करवाई गईं।

³⁶ उप वन संरक्षक बूंदी: 15 कोटा: 10 मु.रा.उ. कोटा: 03

³⁷ उप वन संरक्षक अजमेर: 4, भरतपुर: 6, प्रतापगढ़: 2, राजसमंद: 4

- इसके आगे, मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक वर्ष में आयोजित होने वाली वांछित दो आम सभाओं का आयोजन नहीं किया गया था
- सभी 183 ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के अभिलेखों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था एवं अभिलेखों की लेखापरीक्षा भी संचालित नहीं की गई थी जिसके कारण अनियमितताओं और कमियों का पता नहीं लगाया जा सका।

3.2.7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अभिसरण

पैकेज संख्या आठ अर्थात् 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के माध्यम से अभिसरण' में संवेदनशील असुरक्षित वन एवं वन्यजीव क्षेत्र को पक्की पत्थर की दीवार की बाड़ से निर्मित करने हेतु 1000 हैक्टर में ₹ 37.36 करोड़ के आवंटन का प्रावधान था। चयनित खण्डों³⁸ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि अतिक्रमण के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र को न तो चिन्हित किया गया था न ही पक्की पत्थर की दीवार की बाड़ लगाए जाने के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से प्रकट हुआ कि पक्की दीवार की बाड़ लगाने के लक्ष्य को 4900 हैक्टर (390 प्रतिशत) तक बढ़ाया गया था, जबकि वित्तीय लक्ष्यों को राशि ₹ 19.63 करोड़ (52.54 प्रतिशत) तक घटाया गया था। तथापि पैकेज पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2017) कि पक्की दीवार की बाड़ लगाया जाना मनरेगा में अनुमत्य नहीं था। इस प्रकार, योजना में पक्की दीवार के निर्माण की स्वीकृति नहीं होने के बावजूद इस घटक को परियोजना में एक अलग पैकेज के रूप में शामिल किया गया था।

3.2.8 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

परियोजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं आयोजना प्रतिवर्ष यादृच्छिक रूप से चयनित खण्डों में यादृच्छिक रूप से चयनित कार्यों का मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार करेंगे। एक कार्य का पूर्णतः मूल्यांकन किया जाएगा और शेष कार्यों का आंशिक रूप से (क्षेत्र के 10 प्रतिशत के समतुल्य) मूल्यांकन किया जाएगा। महत्वपूर्ण विचलन पाए जाने के प्रकरण में उन कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाना था।

उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं आयोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच खण्डों³⁹ में केवल वनीकरण पैकेज का ही मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन प्रतिवेदनों ने परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन

³⁸ उप वन संरक्षक अजमेर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, (वन्य जीव) मु.रा.उ. कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

³⁹ अजमेर, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

यथा प्राकृतिक पौधों की कट बैक कार्य, अप्रभावी बाड़ लगाने, कम आकार के गड्ढों की खुदाई, पालतू जानवरों के साथ-साथ जंगली जानवरो द्वारा चराई, क्षेत्र में प्राकृतिक घास की असंतोषजनक स्थिति और वी-डिचेज पर औषधीय बीजों की बुवाई की कमी को इंगित किया।

कमियों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों को न तो अभिलेखों में पाया गया न ही तीन खण्डों⁴⁰ के द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा का अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य नहीं किया गया था, जिसके कारण परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन, बिना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किए रहा। उप वन संरक्षक, भरतपुर के प्रकरण में अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा उक्त कार्य बिना समीक्षा के रहा।

मार्गदर्शिका के अनुसार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नियुक्त बाह्य अभिकरण तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत परियोजना खण्डों का मूल्यांकन करेंगे।

यह देखा गया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बाह्य अभिकरणों की नियुक्ति के अभाव में 10 प्रतिशत परियोजना खण्डों में तीन साल के बाद किए जाने वाले मूल्यांकन कार्य संचालित नहीं किए जा सके थे।

प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया (जुलाई 2017), उत्तर अपेक्षित था।

3.2.9 निष्कर्ष

परियोजना के आयोजना स्तर पर परिभाषित भूमि के वर्गीकरण, स्थल चिन्हीकरण और मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के प्रकार के आधार को रिकार्ड एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के विचलन के अलावा सूक्ष्म योजनाओं को तैयार किए जाने में कमियां थी।

इसी प्रकार, कृषि वानिकी एवं संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के पैकेजों के संदर्भ में अप्रमाणित बीजों के क्रय/संग्रहण एवं उपयोग तथा परियोजना की मार्गदर्शिका के पालन न करने के दृष्टांत भी थे।

आंतरिक एजेन्सियों द्वारा अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया और परियोजना मूल्यांकन के लिए बाहरी एजेन्सियों को नियुक्त नहीं किया गया था।

⁴⁰ बूंदी, कोटा, राजसमंद

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3 राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन

3.3.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए राज्य के गांवों को चरणबद्ध तरीके से सभी मौसम में उपयोग लिए जाने योग्य डामरीकृत सड़कों हेतु 250 से 499 (जनगणना-2001) के बीच आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया (2012-13)। इसे प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (परियोजना) को राजस्थान सरकार द्वारा 2013-14 में शुरू किया गया। परियोजना के तीन मुख्य घटक थे-ग्रामीण सम्पर्क में सुधार, सड़क क्षेत्र के प्रबंधन को मजबूत बनाना और सड़क सुरक्षा में वृद्धि।

यह परियोजना विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में वित्त पोषित है। कुल परियोजना लागत ₹ 1362 करोड़ है। पहला घटक “ग्रामीण सम्पर्क सुधार” का उद्देश्य 250-499 की आबादी वाले लगभग 1300 रेवेन्यू गांवों को सम्पर्क प्रदान करने के लिए 2500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य करना था। दूसरे घटक में ग्रामीण सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना हेतु सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण एवं प्रदर्शन वृद्धि सम्मिलित है। तीसरा घटक “सड़क सुरक्षा प्रबंधन” का उद्देश्य यातायात दुर्घटनाओं से मृत्यु की संख्याओं और गंभीर चोटों को कम करना था।

3.3.2 परियोजना की स्थिति

परियोजना की शुरुआत और समापन तिथि क्रमशः 10 मार्च 2014 और 31 दिसम्बर 2018 थी। परियोजना पर ₹ 1156.86 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध वर्ष 2013 और 2017 के बीच ₹ 951.76 करोड़ का व्यय किया गया था। घटक-ए ग्रामीण संपर्क सुधार के तहत 2521 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के माध्यम से 1056 गांवों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाना था। यह देखा गया कि मार्च 2017 तक 2225 किलोमीटर कि सड़को का निर्माण किया गया एवं 990 गांव जोड़े गये थे।

दूसरे घटक में तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् वहनीय परिसंपत्ति प्रबंधन; उन्नत नीति ढांचा; इंजीनियरिंग प्रथाओं और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण को सम्मिलित किया गया था। यह देखा गया कि वहनीय सड़क सम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली को दो चरणों में 30 जनवरी 2017 तक लागू किया जाना था। तथापि, सड़क सम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली के तंत्र को डिजाइन करने के पहले चरण का कार्य अधूरा था (मार्च 2017) परिणामस्वरूप, दूसरे चरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसी तरह, तीसरे घटक ‘सड़क सुरक्षा प्रबंधन’ के सुरक्षित कॉरिडोर प्रदर्शन कार्यक्रम

से सम्बन्धित कार्य में केवल प्रस्तावित डेमो कॉरिडोर पर अंतिम प्रतिवेदन और सुरक्षित सड़क निवेश योजनाएं पूरी हो चुकी थी और अन्य कार्य प्रगति पर है।

3.3.3 कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली

राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना की लेखापरीक्षा 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के लिए मुख्य अभियंता (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन और स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति⁴¹ के द्वारा 74 खण्डों में से 18 खण्डों⁴² के चयन के माध्यम से की गई। नमूना-जाँच किये गये खण्डों में 137 पैकेजों में शामिल 417 सड़क कार्य किये गये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

घटक ए - ग्रामीण संपर्क सुधार

3.3.4 योजना

3.3.4.1 नियोजन के लिए डेटा का अभाव

➤ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सम्मिलित नहीं किये गये सभी गांवों को जो कि 250 से 499 के बीच की आबादी के है, को सभी मौसम की सड़क संपर्क प्रदान करना था। परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज⁴³ के अनुसार 7357 ऐसे गांव थे जो अक्टूबर 2013 में 500 से नीचे आबादी⁴⁴ वाले थे। राज्य सरकार द्वारा पुनर्मिलान किये जाने (नवम्बर 2015) के परिणामस्वरूप ऑनप्रले⁴⁵ पर दिखाए गये 250 से 499 के बीच कि जनसंख्या वाले असंबद्ध आबादियों की संख्या में 1571 की वृद्धि हुई। तथापि, विभाग ने मार्च 2017 तक कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने वाले एवं अन्य योजना के अंतर्गत कवर किये गये अथवा कवर किये जाने वाले गांवों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं

⁴¹ स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति एक ऐसी तकनीक है जो संभावित नमूनों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है जो कम चरम पर है यह सुनिश्चित करके कि आबादी के सभी हिस्सों को नमूना में प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि कार्यप्रणाली की दक्षता में वृद्धि हो सके।

⁴² अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड, आबू रोड, अलवर II, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी (विश्व बैंक), चौमहला, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ (विश्व-बैंक), दौसा, नगर खंड जयपुर, जिला खण्ड जयपुर, मालपुरा, निम्बाहेड़ा, राजसमंद (विश्व-बैंक), सवाईमाधोपुर (विश्व-बैंक), सिकंदरा, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़

⁴³ विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज जिसके आधार पर ऋण संस्वीकृत हुआ।

⁴⁴ आबादी जनसंख्या का एक समूह है जो किसी स्थान पर रहती है, जिसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, कुछ आबादियां एक गांव का निर्माण करती है।

⁴⁵ ऑनलाईन निगरानी, प्रबंधन और लेखाप्रणाली

कराया। यह देखा गया कि परियोजना के तहत संपर्क के लिए 1056 गांवों का चयन किया गया और 1500 गांवों को कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक के तहत सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। शेष 4801 गांवों⁴⁶ के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा विभाग द्वारा 1571 आबादियों में वृद्धि के कारण बढ़े गांवों के सड़क संपर्क के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी गई।

विश्वसनीय आंकड़ों की अनुपस्थिति में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या सभी मौसम डामरीकृत सड़कों के सम्पर्क प्रदान करने की योजना के दौरान, 250 से 499 के बीच आबादी वाले सभी गांवों को ध्यान में रखा गया था।

➤ परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज के अनुसार परियोजना प्रबंधन सलाहकार को परिचालन नियमावली तैयार करने में सार्वजनिक निर्माण विभाग को मदद करनी आवश्यक थी जिसमें विभिन्न परियोजना घटकों के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था मय परियोजना की निगरानी, कोष प्रवाह और सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं के प्रबंधन सहित पहलू सम्मिलित होंगे।

मुख्य अभियंता (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए परिचालन नियमावली को तैयार नहीं किया गया था।

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने कहा कि परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज एक कानूनी दस्तावेज नहीं था और यह परिचालन नियमावली तैयार करने के लिए ऋणगृही बाध्यकारी नहीं था। तथापि, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार को एक महीने में परिचालन नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

3.3.4.2 स्पष्ट स्थल की अनुपलब्धता

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 351 के अनुसार, ऐसी भूमि पर कोई भी काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से सौंपा नहीं गया हो।

चयन किए गए खण्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

➤ आबू रोड़ खण्ड में वासा से केदार पादर⁴⁷ (किमी 0/0 से 3/400) के लिए सड़क की स्वीकृति जारी की गई थी लेकिन सड़क के चैनैज 0/383 से 0/833 और 3/010 से 3/400 में भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं किया गया। जिसके अभाव में सभी मौसम संपर्क सड़क का उद्देश्य ₹ 1.54 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी पूरा नहीं हुआ।

⁴⁶ 7357-(1056+1500)

⁴⁷ पैकेज संख्या-आरजे 29-डब्ल्यूबी/आरआरएसएमपी-01

➤ सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक) खण्ड में खांडर-बालेर से परसीपुरा⁴⁸ (4.13 किमी) की एक सड़क की ₹ 1.86 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। लेकिन वन विभाग से भूमि (690 मीटर) की मंजूरी के अभाव में सड़क अधूरी रही और सड़क सम्पर्क का उद्देश्य ₹ 60.44 लाख का व्यय करने के उपरान्त भी पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर (मई 2017) राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि कार्य समय को बचाने के लिए प्रारम्भ किया गया था और साथ ही वन विभाग से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते समय ट्रान्जेक्ट वॉक के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों, सरपंच और अन्य लोगों के साथ भूमि, वन आदि की स्थिति पर विचार किया गया। उत्तर दर्शाता है कि ट्रान्जेक्ट वॉक उचित रूप से आयोजित नहीं किया गया था।

अपर्याप्त सर्वेक्षण का मुद्दा आठ जिलों के 11 सड़क कार्यों में कुल लम्बाई 20.08 किलोमीटर (*परिशिष्ट 3.9*) में देखा गया था। बांध के डूब क्षेत्र में होने, दोहरी सम्पर्कता, भूमि विवाद या अन्य योजना में सड़क बन जाने के कारण बाद में इनकी संस्वीकृति रद्द किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था।

राज्य सरकार ने (सितम्बर 2017) तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने और लापरवाही के कारणों को समझाने के लिए सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

3.3.5 कार्यान्वयन

3.3.5.1 संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के बिना व्यय करना और तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व निविदाएँ आमंत्रित किया जाना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार जब किसी निर्माण कार्य पर व्यय उसके लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है या अधिक होने की संभावना है, या जहां मूल प्रस्तावों से सामग्री विचलन होता है, तो इस प्रकार बढ़ी हुई लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

ब्यावर और निम्बाहेड़ा खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि तीन पैकेज (सात निर्माण कार्य) में ₹ 5.66 करोड़ का व्यय किया गया। यह प्रशासनिक स्वीकृति से 23.30 प्रतिशत अधिक है। तथापि, ऐसी कोई संशोधित स्वीकृति नहीं मिली थी।

⁴⁸ पैकेज संख्या-आरजे 27-डब्ल्यूबी/आरआरएसएमपी-09

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने एवं अनुमति के बिना और कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

चार खण्डों⁴⁹ के छः पैकेज (13 सड़क निर्माण) में तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पहले निविदाएँ आमंत्रित की गईं (*परिशिष्ट 3.10*) यह लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लिखित नियमों के विपरीत था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि निविदाएं एनआईटी व्यय को कम करने के साथ ही कार्य के जरूरी होने के कारण समय की बचत के लिए मुख्य अभियंता के स्तर पर जारी की गईं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

3.3.5.2 संवेदकों को अनुचित लाभ

अनुबंध कि सामान्य शर्त यह निर्दिष्ट करती है कि:

➤ अनुबंध डेटा में दिये गये सूत्र के अनुसार श्रम, सामग्री, ईंधन एवं ल्यूब्रीकेन्ट और अन्य उत्पादक सामग्री की दरों में वृद्धि या घटने के लिए अनुबंध मूल्य समायोजित किया जाएगा। सीमेंट के उपयोग के मामले में, ग्रे सीमेंट की दर और स्टील के उपयोग के मामले में, स्टील रीबार की दर लागू होगी। बिटुमिन के मामले में, रिफाइनरी से बेची गई बिटुमिन की दर मूल्य समायोजन की गणना हेतु ली जाएगी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच पर हमें अनुबंध कि सामान्य शर्तों से कई विचलन मिले हैं, जो नीचे दिये गये हैं:

➤ निम्बाहेड़ा खण्ड में, एक पैकेज (तीन सड़क निर्माण) में, अगस्त 2013, जिस महीने में निविदाएँ खोली गईं, के बजाए मार्च 2013 के आधार सूचकांक को अपनाने की वजह से संवेदक को अतिरिक्त मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था। इसके अलावा स्टील रीबार के बजाए स्टील रॉड पर मूल्य समायोजन का दावा किया गया था।

➤ दौसा खण्ड में, एक पैकेज (पांच सड़क निर्माण) ग्रे सीमेंट के स्थान पर, सीमेंट, स्लेट और ग्रेफाइट उत्पादों की दरें ली गईं।

➤ छबड़ा खण्ड के चार पैकेज (16 सड़क निर्माण) में, मूल्य समायोजन बिलों को प्रवेश कर सहित बिटुमिन की बिक्री मूल्य का भुगतान किया गया था।

➤ सूरतगढ़ खण्ड के पांच पैकेज (19 सड़क निर्माण) में, समायोजन डेटा की तालिका में वर्णित लागत के प्रत्येक कारक के लिए अधिशाषी अभियंता द्वारा जारी किये गये शुद्धिपत्र के अनुसार भार बदल दिया गया था, जो धारा 47.1(जी) के प्रावधानों के विरुद्ध था।

➤ सिकंदरा खण्ड के एक पैकेज (पांच सड़क निर्माण) में, बिटुमिन की दर महीने के पहले दिन के बजाए महीने के 16वें दिन पर ली गई थी, बिटुमिन की

⁴⁹ आबू रोड़, अलवर-II, चौमहला और सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)

आधार तिथी अगस्त 2013 के बजाए जून 2013 ली गई थी और स्टील रिबार्स के स्थान पर स्टील रॉड की दर ली गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 67.45 लाख (*परिशिष्ट 3.11*) के मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि खण्डों के प्रभारी अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिया गया है कि वे मूल्य समायोजन के कारण संवेदकों को किए गये अधिक भुगतान की वसूली करें।

➤ सम्पूर्ण कार्य या कार्य के भाग के पूरा होने के लिये जारी किये गये प्रमाणपत्र के 28 दिनों के भीतर संवेदक को परिचालन एवं रखरखाव नियमावली की आपूर्ति करनी होगी। अन्यथा अनुबंध मूल्य का एक प्रतिशत अधिकतम राशि ₹ तीन लाख की राशि रोकी जाएगी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि नौ खण्डों⁵⁰ में कार्य पूरा होने के बाद भी परिचालन एवं रखरखाव नियमावली संवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी और सड़कों के रखरखाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। रखरखाव से सम्बन्धित नियमावली और अभिलेख प्रस्तुत करने की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वर्षा के कारण सड़क कटाव की मरम्मत, पुलिया एवं नदी पथ का अनुरक्षण, किनारों की मरम्मत आदि के लिए क्या कोई कार्रवाई निष्पादित की गई थी। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 2.02 करोड़ रोके जाने के अभाव में संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया (*परिशिष्ट 3.12*)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को संवेदकों द्वारा परिचालन एवं रखरखाव नियमावली प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

➤ स्वीकृति पत्र के 14 दिन के भीतर, संवेदक, परियोजना प्रबंधक को पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना सहित एक संशोधित निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। वह 30 दिनों के अंतराल पर निर्माण कार्यक्रम को अद्यतन करेगा अन्यथा ₹ पांच लाख की राशि को रोका जाएगा। चयनित खण्डों के 136 पैकेज⁵¹ (416 सड़कों) में, संवेदकों ने स्वीकृति पत्र की तिथी के 14 दिनों के भीतर संशोधित निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया और न ही निर्माण पूरा करने से पहले अद्यतन किया गया। विभाग ने बिलों से राशि ₹ 6.80 करोड़ की राशि को नहीं रोका जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया (*परिशिष्ट 3.13*)।

⁵⁰ अलवर-II, चौमहला, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), छबड़ा, बूंदी (विश्व बैंक), दौसा, निम्बाहेड़ा, सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक) और सूरतगढ़

⁵¹ आबू रोड़-I, अलवर-II-4, ब्यावर-I, भीलवाड़ा-9 बूंदी (विश्व बैंक)-7, चौमहला-2, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक)-18, छबड़ा-19, दौसा-10, मालपुरा-10, निम्बाहेड़ा-18, राजसमंद (विश्व बैंक)-11, सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)-13, सिकंदरा-2 श्रीगंगानगर-5 और सूरतगढ़-6

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी अद्यतन निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था वहां ₹ पांच लाख की राशि रोकें।

➤ संवेदक को कार्य शुरू करने की तारीख से पांच साल की दोष देयता अवधि के अंत तक सड़क का बीमा कवर प्रदान करना होगा। यदि संवेदक आवश्यक पॉलिसी और प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो नियोक्ता बीमा करवाएगा और नियोक्ता द्वारा किये गये प्रीमियम के भुगतान की वसूली संवेदक को देय भुगतान से की जाएगी। यह देखा गया कि 8 खण्डों⁵² में, 58 पैकेजों (176 सड़कों) में से 27 पैकेजों (76 सड़कों) में बीमा निर्माण अवधि के लिए बीमा कवर प्रस्तुत किया गया था जबकि इसे पांच वर्ष की दोष देयता अवधि तक प्रदान किया जाना था। 31 पैकेजों (100 सड़कों) में, संवेदकों द्वारा कोई बीमा कवर प्रस्तुत नहीं किया गया था (*परिशिष्ट 3.14*) इस प्रकार प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण संवेदकों को ₹ 1.43 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि अनुबंध में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

➤ बोलीदाता को अनुदेश के अनुसार, स्वीकृति पत्र जारी करने के 21 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा और नियोक्ता को एक निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा जो कि दोष देयता अवधि की समाप्ति अर्थात् पांच वर्षों के नियमित रख-रखाव की अवधि के 45 दिनों तक वैध होनी चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा बोलीदाता के अनुदेश की शर्तों का पालना न करना अनुबंध के निरस्तीकरण व निविदा प्रतिभूति को जब्त करने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि पांच खण्डों⁵³ के 27 पैकेजों में निष्पादन प्रतिभूति निर्धारित अवधि अर्थात् दोष देयता अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के बाद की अवधि तक प्रस्तुत नहीं की गई। विभाग द्वारा सफल बोलीदाताओं (*परिशिष्ट 3.15*) के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन ईकाई से दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में स्पष्ट करने तथा बैंक गारंटी को निर्धारित अवधि तक प्राप्त करने हेतु कहा गया है।

3.3.5.3 अपर्याप्त वृक्षारोपण

पर्यावरण सम्बन्धी और ग्रामीण सड़कों की हरियाली को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सड़कों पर वृक्षारोपण किया जाए ताकि

⁵² ब्यावर, भीलवाड़ा, चौमहला, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), दौसा, निम्बाहेड़ा और सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)

⁵³ ब्यावर, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), राजसमंद (विश्व बैंक), मालपुरा और निम्बाहेड़ा

पर्यावरण का संरक्षण हो व प्रदूषण को कम किया जा सके। वृक्षारोपण और इसका पांच वर्षों के लिए रखरखाव का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि के अंतर्गत किया जाना था और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत/वन विभाग थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग को परियोजना सड़कों पर सड़क किनारे वृक्षारोपण और सड़कों के नाम के बारे में विस्तृत जानकारी, वृक्षारोपण के लिए मंजूर लंबाई, पेड़ों की प्रजातियां और लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या के लिए एक कार्ययोजना उपलब्ध कराई जानी थी।

मार्च 2017 की तिमाही रिपोर्ट में 10 जिलों में लगाए जाने वाले 92,476 पेड़ों का लक्ष्य दिखाया गया। शेष जिलों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि, किसी भी जिले में कोई पेड़ नहीं लगाया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

3.3.6 गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

➤ बिडिंग डाटा शीट में कहा गया है कि संवेदक द्वारा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक बिटुमिन/ईमल्सन का क्रय अधिकृत रिफाइनरी से ही किया जाना चाहिए एवं प्रयोग करने से पूर्व शासकीय संस्था/क्षेत्रीय प्रयोगशाला/अभियांत्रिक महाविद्यालय से प्राप्त जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक) खण्ड के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सात पैकेजों में 22 सड़क कार्यों के लिए संवेदक द्वारा बिटुमिन/ईमल्सन जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। (परिशिष्ट 3.16) इसके अभाव में बिटुमिन और इमल्सन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसकी सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा भी जांच नहीं की गई। चार पैकेज (12 सड़क निर्माण कार्य) में सड़कों के लिए कार्यदेश जारी किये जाने से पांच से 34 महीने पूर्व जारी प्रेषित रसीद प्रमाणपत्र⁵⁴ के आधार पर बिटुमिन/ईमल्सन का उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के कार्यालय से बिटुमिन/ईमल्सन के परीक्षण प्रमाणपत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

➤ गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर को दो भागों में संधारित किया जाना था: पहला भाग गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की रिकार्डिंग के लिए और दूसरा भाग परीक्षणों के सार को दर्ज करने और कमियों को दूर करने की कार्यवाही के लिए। चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया की गुणवत्ता नियंत्रण

⁵⁴ यह एक बिटुमिन/ईमल्सन से सम्बन्धित प्रमाणपत्र है और आपूर्तिकर्ता द्वारा संवेदक को निर्गमित किया जाता है।

रजिस्टर का पहला भाग सात खण्डों⁵⁵ द्वारा बनाया गया था जबकि दूसरे भाग को नहीं बनाया गया। यह पता नहीं लगाया जा सकता कि पहले भाग में दर्ज की गई कमियों का समाधान किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सभी खण्डों को निर्देश जारी किये गये हैं।

➤ राज्य गुणवत्ता मॉनीटर⁵⁶ को प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता का कम से कम तीन बार निरीक्षण करना था। प्रत्येक कार्य के पहले दो निरीक्षण तीन महीने के अंतराल पर कार्य के निष्पादन के दौरान किया जाएगा और अंतिम निरीक्षण कार्य पूरा होने के एक महीने के भीतर किया जाएगा। नमूना जांच से पता चला कि 977 पूर्ण (मार्च 2017) सड़क के कार्य के लिए राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा 2931 निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता थी। तथापि, यह देखा गया कि पहले चरण में मात्र 15 (1.54 प्रतिशत) निरीक्षण, दूसरे चरण में 61 (6.24 प्रतिशत) निरीक्षण और तीसरे चरण में 722 (73.90 प्रतिशत) निरीक्षण किये गये थे। आवश्यक निरीक्षण के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग सड़कों की गुणवत्ता के बारे में कैसे आश्वस्त हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर (मई 2017) राज्य सरकार ने स्वीकार किया (सितम्बर 2017) कि जनवरी 2017 तक राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा किए गए निरीक्षण अपेक्षानुसार नहीं थे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी फील्ड कर्मचारियों द्वारा भुगतान जारी करने से पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जांच की गई है और इन जांच परिणामों को भुगतान से जोड़ा गया था। स्थल जांच के दौरान परियोजना निगरानी सलाहकार द्वारा भी परीक्षण किया गया है। इसलिए, गुणवत्ता सुनिश्चित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय स्तर पर किए गए प्रयास केवल अन्तर मिटाने का प्रबंध ही है तथा राज्य गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण का वैध विकल्प नहीं कहा जा सकता।

3.3.7 निष्कर्ष

मार्च 2017 तक 1056 गांवों में से 990 गांवों (93 प्रतिशत) को ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान किया गया था। द्वितीय घटक के मुख्य क्षेत्रों में कार्य विलम्बित थे। इसी प्रकार, तीसरे घटक में सुरक्षित कॉरीडोर प्रदर्शन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी विलम्बित थे।

⁵⁵ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), छबड़ा, मालपुरा, निम्बाहेडा, राजसमंद (विश्व बैंक) और सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)

⁵⁶ गुण नियंत्रण इकाईयां, राज्य सरकार द्वारा संस्थापित/नियुक्त की गई, अधिशाषी अभियंता/परियोजना कार्यान्वयन इकाई से स्वतन्त्र

- विभाग ने 250-499 के बीच की आबादी वाले सभी गांवों को सभी मौसम डामरीकृत सड़कों के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए योजना में ध्यान रखा गया या नहीं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर संवेदकों को अनुचित लाभ दिया गया था।
- कुछ चयनित खंडों द्वारा गुण नियंत्रण से सम्बन्धित, गुण नियंत्रण पंजिका के भाग-II के रखरखाव के मानदंडों को पूरा नहीं किया गया। राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा सिविल कार्य के विभिन्न चरणों में निरीक्षण वांछित संख्या में नहीं किये गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.4 सड़क कार्य अपूर्ण रहने से आबादी को सम्पर्क सुविधा का अभाव

समुचित कोष प्रबंधन के अभाव में ₹ 2.61 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना एवं आबादी को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की प्राप्ति का अभाव

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाली पात्र असम्बद्ध आबादी को बारहमासी सड़कें जो सालभर काम करने के लायक हो, के जरिये सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देश के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार, व्यवस्थित और लागत प्रभावी तरीके से कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए समुचित योजना आवश्यक है। इसके अलावा, दिशा-निर्देश के अनुच्छेद 11.5 में यह प्रावधान है कि यदि प्राप्त की गई निविदाओं का मूल्य मुख्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये प्राक्कलन से अधिक होता है तो फैंज/बैच में स्वीकृत किये गये कार्यों के लिए पूरे राज्य के लिए एकीकृत किया गया वह अंतर (टेण्डर प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

बीकानेर जिले में पीएमजीएसवाई (पैकेज संख्या आरजे 08-डब्ल्यू बी-17) के अंतर्गत तीन⁵⁷ सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने ₹ 3.17 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी की (सितम्बर 2013)। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा राशि ₹ 4.11 करोड़ में निविदा को स्वीकृत किया गया (फरवरी 2014) एवं अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, नोखा द्वारा 3 जनवरी 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ कार्यादेश जारी किया गया (मार्च 2014)। कार्यादेश के नीचे दिये गये नोट के अनुसार भौतिक लक्ष्य में परिवर्तन किये बिना कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 3.17 करोड़ तक सीमित किया गया था। मार्च 2016 तक पूर्ण किये गये कार्य हेतु संवेदक को राशि ₹ 3.27 करोड़ का भुगतान किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2016) से ज्ञात हुआ कि पैकेज में शामिल तीन सड़कों में से एक सड़क पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी थी तथा दो सड़कें⁵⁸ बजट के अभाव में अपूर्ण थीं। इन दोनों सड़कों पर ₹ 2.61 करोड़ का व्यय किया गया था। चूंकि कार्यादेश

⁵⁷ (i) सिलवा से नायकों/भातियों की ढाणी ₹ 60.10 लाख (किमी 0/0 से 3.0 किमी)
(ii) हंसासर से गोदारों की ढाणी ₹ 1.02 करोड़ (किमी 0/0 से 5/0 किमी) (iii) कक्कों से जोगाजी की ढाणी ₹ 1.54 करोड़ (6/0 से 8/0)

⁵⁸ हंसासर से गोदारों की ढाणी किमी 4.275 में पूर्ण (₹ 1.05 करोड़) कक्कों से जोगाजी की ढाणी किमी 6.500 में पूर्ण (₹ 1.56 करोड़)

की राशि प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक थी, इसलिए कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त निधि ₹ 94.66 लाख की आवश्यकता थी। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यादेश जारी करने से पूर्व और इसके पश्चात, अतिरिक्त कोष प्राप्त करने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया था तथा अधिशाषी अभियंता द्वारा कार्य को अपूर्ण स्थिति में पूर्ण मान लिया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना के अभाव में एवं कोषों का समुचित प्रबंधन किये बिना कार्यादेश जारी करने के फलस्वरूप ₹ 2.61 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हो सका एवं पात्र आबादियों को बारहमासी सड़कों की संपर्क सुविधा प्रदान करने का पीएमजीएसवाई का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि गोदारों की ढाणी एवं जोगाजी की ढाणी की अधिकतम जनसंख्या छितरायी हुई ढाणियों में निवास करती है तथा उनके केन्द्रीय स्थान जैसे गोदारों की ढाणी के मामले में जल जलाशयों तक तथा जोगाजी की ढाणी के मामले में विद्यालय तक, निर्मित सड़क का लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा यह बताया (मार्च 2017) गया कि चूंकि ढाणियां छितराये हुए स्थानों पर स्थित थी अतः उनको डीपीआर में संलग्न स्ट्रिप प्लान में नहीं दर्शाया गया था।

निम्न आधारों पर उत्तर मान्य नहीं है:

➤ गोदारों की ढाणी के मामले में, परियोजना प्रतिवेदन में संलग्न स्ट्रिप में ना तो केन्द्रीय स्पान (जल भंडार) की स्थिति ना ही 4.275 किमी पर आबादी (निर्मित सड़क के अंतिम बिन्दु) को दर्शाया गया था। सम्पूर्ण सड़क के साथ, कृषि भूमि को दर्शाया गया था। जोगाजी की ढाणी के मामले में केन्द्रीय स्थान (विद्यालय) 8.000 किमी पर दर्शाया गया था जबकि सड़क का निर्माण 6.500 किमी तक ही किया गया था और सड़क के अंतिम बिन्दु तक कोई आबादी नहीं थी। पूर्ण लम्बाई की सड़क निर्माण नहीं करने से सालभर चलने योग्य बारहमासी सड़क प्रदान करने का पीएमजीएसवाई का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

➤ पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, कलस्टर की जनसंख्या को निर्धारित करने हेतु 500 मीटर के घेरे में आ रही सभी आबादियों की जनसंख्या को एक साथ शामिल किया जाता है। तत्काल मामलों में, गोदारों की ढाणी के मामले में 0.725 किमी लम्बाई एवं जोगाजी की ढाणी के मामले में 1.500 किमी लम्बाई में सड़क निर्माण नहीं किया गया था। निर्मित सड़कों के अंतिम बिन्दु से दोनो ढाणियों की दूरी 500 मीटर से अधिक थी। यह उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना थी। इसके अलावा, ये आबादियां सड़क निर्माण के उपरांत भी बारहमासी सड़को से 500 मीटर से भी अधिक दूरी पर रह गयी थी, इन्हें पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार असम्बद्ध आबादी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

3.5 क्योरिंग कम्पाउण्ड के लिए संवेदकों को अनियमित भुगतान

ग्रामीण गौरव पथ योजना में संवेदकों को क्योरिंग कम्पाउण्ड का अनियमित भुगतान ₹ 83.55 लाख

कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए मानक निर्दिष्टीकरण एवं अभ्यास के नियम के सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस 15.2011 की धारा 10.8 के अनुसार, कंक्रीट की तराई⁵⁹ निम्नलिखित दो तरीकों में से एक द्वारा की जा सकती है:

- क्योरिंग कम्पाउण्ड⁶⁰ का उपयोग कर गीला बोरा बिछाना एवं इसको नियमित रूप से गीला करना। शुष्क क्षेत्रों के मामले में जहाँ पानी बहुत कम है, अभियंता के विवेक पर क्योरिंग कम्पाउण्ड को दो बार उपयोग करने के बाद गीले बोरे द्वारा नमी कर तराई की अनुमति दी जा सकती है।
- छोटे कार्यों के लिए, गीले बोरे का प्रयोग कर मानवीय तरीके से तराई की जा सकती है। जिसे तराई अवधि के दौरान गीला रखा जाता है। तराई 14 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए की जायेगी। मिश्रित सीमेंट की स्थिति में तराई 16 दिनों तक की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत 2119.16 किमी लम्बाई में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु राशि ₹ 1112.95 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी (दिसम्बर 2014)। निम्नलिखित तीन खण्डों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये गये :

1. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड वल्लभनगर ने 28 अगस्त 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ 27 सड़कों⁶¹ के निर्माण हेतु ₹ 8.96 करोड़ का कार्यादेश जारी किया (दिसम्बर 2014)। संवेदक को मार्च 2016 तक ₹ 7.89 करोड़ का भुगतान किया गया।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड धरियावाद ने 24 जुलाई 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ 07 सड़कों⁶² के निर्माण हेतु ₹ 2.53 करोड़ का कार्यादेश जारी किया (फरवरी 2015)। संवेदक को अप्रैल 2016 तक ₹ 2.38 करोड़ का भुगतान किया गया।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, झालावाड़ ने 28 अगस्त 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ 30 सड़कों⁶³ के

⁵⁹ तराई, कंक्रीट से नमी को रोकने की एक प्रक्रिया है। यह सुविधा के अलावा कंक्रीट की ताकत और स्थायित्व को बढ़ाता है।

⁶⁰ यह एक रासायनिक अवयव है जो सीमेंट जलयोजन के शुरूआती चरणों में नमी के नुकसान को रोकने के लिए ठोस सतह पर लागू होता है।

⁶¹ पैकेज नम्बर आरजे-33-05/5054/जीजीपी रोड/प्लान/2014-15

⁶² पैकेज नम्बर आरजे-26-04/5054/जीजीपी रोड/प्लान/2014-15

⁶³ पैकेज नम्बर आरजे-19-01/5054/जीजीपी रोड/प्लान/2014-15

निर्माण हेतु ₹ 16.76 करोड़ का कायदेशि जारी किया (दिसम्बर 2014)। संवेदक को जनवरी 2016 तक ₹ 15.43 करोड़ का भुगतान किया गया।

खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा (सितम्बर 2016) के दौरान यह पाया गया कि बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य में क्योरिंग कंपाउंड की मद को शामिल किया गया था जबकि संवेदकों द्वारा सीमेंट कंक्रीट सड़कों की तराई पानी द्वारा की जा रही थी, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का कार्य 37986.68 घनमीटर क्षेत्र में निष्पादित किया गया था जिसके लिए निम्न तालिका के अनुसार क्योरिंग कंपाउंड पर ₹ 83.55 लाख का व्यय किया गया था:

खण्ड का नाम	सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य निष्पादित किया गया (घन मीटर में)	व्यय किया गया (₹ लाख में)
वल्लभनगर	14598.13	42.11
धरियाबाद	3956.92	15.17
झालावाड़	19431.63	26.27
योग	37986.68	83.55

चूंकि संवेदकों द्वारा क्योरिंग कम्पाउण्ड का प्रयोग नहीं किया गया था तथा तराई हेतु पानी का प्रयोग किया गया। अतः क्योरिंग कम्पाउण्ड के सम्बन्ध में ₹ 83.55 लाख का भुगतान अनियमित था और परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ हुआ।

वल्लभनगर के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी एवं मई 2017) कि इण्डियन रोड कांग्रेस 15.2011 के प्रावधानानुसार, ग्रामीण गौरव पथ सड़कों की तराई क्योरिंग कम्पाउण्ड के साथ-साथ पानी का उपयोग करके की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्योरिंग कम्पाउण्ड के उपयोग करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिये गये थे।

झालावाड़ के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि आवश्यक मजबूती प्राप्त करने हेतु पानी द्वारा तराई की गयी थी। क्योरिंग कम्पाउण्ड मद को 'जी' शिड्यूल से हटा दिया गया था अतः संवेदक क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग करने के लिए बाध्यकारी नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक को दर विश्लेषण के अनुसार भुगतान किया गया था।

धरियाबाद के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग क्योरिंग विशिष्ट स्थानों के लिए किया जाता है जिनमें निरन्तर यातायात का आवागमन रहता है और सीमेंट कंक्रीट की कड़ाई तक यातायात को हटाना संभव नहीं है। चूंकि निर्मित सड़कें ग्रामीण सड़कें थी, यातायात को हटा दिया गया था और यातायात खोलने एवं तराई के 14 दिवस की समाप्ति तक पानी से तराई की गई थी। इन सड़कों पर क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। बेसिक रेट आफ शिड्यूल की दर से कटौती का कोई प्रावधान नहीं था अगर तराई के लिए

क्योरिंग कम्पाउण्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था और बजाय दर विश्लेषण के बेसिक रेट आफ शिड्यूल की दरों के आधार पर कार्य का भुगतान किया गया था। उत्तर स्वयं ही पुष्टि करता है कि क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग नहीं किया गया था और पानी का उपयोग करके तराई की गई थी।

इसलिए दर विश्लेषण में क्योरिंग कम्पाउण्ड को एक अतिरिक्त मद के रूप में शामिल करने की विभाग की कार्रवाई अनियमित थी और फलस्वरूप संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया।

3.6 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य आवंटन

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य आवंटित किये जाने से सड़क के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ का व्यय एवं आबादी का सड़क सम्पर्क सुविधा से वंचित रहना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सौंपा नहीं गया हो।

सड़क, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 112 (बर-बिलाड़ा- जोधपुर अनुभाग) पर 6.750 किलोमीटर लम्बाई (रीच किमी 40/000 से 51/000 के मध्य) में बाई-पास सड़क के निर्माण हेतु ₹ 27.38 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (मार्च 2010)। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान द्वारा ₹ 17.61 करोड़ में निविदा स्वीकृत की (जुलाई 2010) एवं अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड पाली द्वारा 31 जनवरी 2012 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ कार्यदिश जारी किया गया (अक्टूबर 2010)। कार्य अपूर्ण स्थिति में ₹ 9.50 करोड़ व्यय किये जाने के बाद पूर्ण माना गया (जनवरी 2015)।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, पाली के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2016) में पाया गया कि किमी 0/0 से 2/000 एवं किमी 5/200 से 5/700 के टुकड़ों को छोड़कर सड़क कार्य 4.250 किमी लम्बाई (किमी 2/000 से 6.750) में निष्पादित कराया गया। किमी 0/0 से 2/000 के टुकड़ों में भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। जमीन पर एक विवाद था एवं एक मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था (अगस्त 2016)। शेष किमी 5/200 से 5/700 के टुकड़े में, सड़क मार्ग में आ रही विद्युत उच्च वोल्टता लाइनों के स्थानान्तरण नहीं होने से सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। विद्युत उच्च वोल्टता लाइनों को मार्च 2013 में स्थानान्तरित किया गया। विद्युत उच्च वोल्टता लाइनों के स्थानान्तरण में विलम्ब के कारण, कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा

सका एवं संवेदक ने अनुबंध लागत में संशोधन की मांग की। संवेदक द्वारा इस तर्क पर कार्य रोक दिया गया (मई 2012) कि चाहे गये संशोधन को विभाग द्वारा मंजूर नहीं किया गया था। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान कि अनुशंसा (मई 2014) के आधार पर सड़क, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वर्तमान अनुबंध को समाप्त करने को मंजूरी दे दी (अगस्त 2014)। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (नवम्बर 2014)। समीक्षा में आगे पाया गया कि तकनीकी प्रतिवेदन में, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जोधपुर द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि इस रीच में कोई भूमि विवाद नहीं था तथा सार्वजनिक सुविधाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना एवं उच्च वोल्टता लाईनों को स्थानांतरित किये बिना कार्य आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 9.50 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी सड़क कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (मार्च 2017) कि कार्य निष्पादन के दौरान, यह देखा गया कि किमी 0/0 से 2/0 रीच के मध्य आ रहे कुछ खसरो की निजी भूमि को पूर्व में अधिग्रहित नहीं किया गया था। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई परन्तु कुछ किसानों ने भूमि मुआवजे की राशि को स्वीकार नहीं किया। यह भी बताया गया कि निकटवर्ती निवासियों ने भूमि पर कब्जा कर लिया था एवं एक मुकदमा राजस्थान उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क का कार्य आवंटित करने से पूर्व भूमि का कानूनी अधिकार एवं उच्च वोल्टता लाईनों का समय पर स्थानान्तरण सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन में दिया गया प्रमाणपत्र कि, भूमि पर कोई विवाद नहीं था, गलत था।

3.7 मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान

मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान राशि ₹ 1.02 करोड़

संवेदक के साथ निष्पादित किये गये संविदा अनुबंध की धारा 47 बताती है कि संविदा आंकड़ों में दिये गये सिद्धांतों एवं सूत्रों के अनुसार श्रमिक, सामग्री, ईंधन एवं ल्युब्रिकेन्ट्स की दरों में कमी या वृद्धि के लिए संविदा मूल्य को समायोजित किया जायेगा। मूल्य समायोजन, संविदा में दी गई कार्य प्रारम्भ करने तिथि से प्रारम्भिक चाही गई पूर्णता तिथि या अभियन्ता प्रभारी द्वारा की गई समयवृद्धि तक किये गये कार्य पर लागू होगा एवं मूल्य समायोजन प्रति माह निर्धारित किया जावेगा। इसके अलावा, संविदा डेटा बताता है कि निविदा खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व की तिथि का आधार सूचकांक लिया जावेगा।

सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पक्के ढलान के साथ सड़क उन्नयन (किमी 259/000 से 286/600, किमी 290/600 से 297/100 के

मध्य किमी 34.100) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (जैसलमेर-बाडमेर-सांचोर सड़क) को मौजूदा दो लेन सड़क से चार लेन तक चौड़ाईकरण (किमी 286/600 से 290/600 के मध्य 4.00 किमी) हेतु प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 70.85 करोड़ की जारी की (मार्च 2013)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा कार्य की निविदा ₹ 59.16 करोड़ में स्वीकृत की गई थी (अगस्त 2013) तथा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाडमेर द्वारा 28 फरवरी 2015 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ कार्यदिश जारी किया गया (अगस्त 2013)। संवेदक को मार्च 2015 तक मूल्यवृद्धि के रूप में ₹ 3.85 करोड़ का भुगतान किया गया।

एक अन्य मामले में, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पुराने राज्य राजमार्ग 28 'ब' के पचपदरा-बंगुडी अनुभाग के पुनः संरेखित भाग में भौगोलिक सुधार के साथ चौड़ाईकरण (किमी 223/500 से 254/800 के मध्य 31.300 किमी) जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 112 (बर-बिलाड़ा-जोधपुर-बाडमेर) पर छोटे पुल का निर्माण भी शामिल था, की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 57.70 करोड़ की जारी की (दिसम्बर 2012)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा कार्य की निविदा ₹ 43.00 करोड़ में स्वीकृत की गयी (अगस्त 2013) तथा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, बाडमेर द्वारा 8 मार्च 2015 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ कार्यदिश जारी किया गया (अगस्त 2013)। संवेदक को अगस्त 2014 तक मूल्यवृद्धि के रूप में ₹ 2.28 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाडमेर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (अगस्त 2016) कि संवेदक को श्रमिक, स्टील, सीमेंट, बिटुमिन, पीओएल, कारखाना एवं संयंत्र तथा अन्य सामग्री घटकों की मूल्यवृद्धि का भुगतान करते समय, वित्तीय बोली खुलने की दिनांक के बजाय तकनीकी बोली की दिनांक को मूल्यवृद्धि के भुगतान की गणना हेतु माना गया था। मूल्यवृद्धि की गणना के लिए आधार सूचकांक भी वित्तीय बोली खोलने की तिथी से 28 दिन पहले की तिथी से लिया जाना था। जैसलमेर-बाडमेर-सांचोर सड़क मामले में, वित्तीय निविदा 14 जून 2013 को खोली गई थी और इसलिए, आधार सूचकांक दर 17 मई 2013 की ली जानी थी परन्तु खंड ने आधार सूचकांक 4 अप्रैल 2013 का लिया। पचपदरा-बंगुडी अनुभाग के मामले में, पुरानी राज्य राजमार्ग 28-बी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-112 पर छोटे पुल का निर्माण शामिल था, की वित्तीय निविदा 3 मई 2013 को खोली गई और इसलिए, आधार सूचकांक 6 अप्रैल 2013 का लिया जाना था परन्तु खण्ड ने आधार सूचकांक 8 जनवरी 2013 का लिया। इसके फलस्वरूप संवेदकों को मूल्यवृद्धि के रूप में राशि ₹ 1.02 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (*परिशिष्ट-3.17*)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथी को संवेदक द्वारा संयुक्त निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सहित) प्रस्तुत की

गई थी एवं तकनीकी निविदा खुलने की तिथि न कि वित्तीय निविदा के आधार सूचकांक को माना जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविदा अनुबंध के भाग-ई की धारा 26.1 बताती है कि तकनीकी निविदा केवल पात्रता मानदंड निर्धारित करती है जबकि मात्राओं के मूल्य बिल, तकनीकी विशिष्टियों एवं ड्राईंग के सम्बन्ध में शेष शर्तों को वित्तीय निविदा निर्धारित करती है। इसके अलावा, मूल्यवृद्धि की गणना के लिए आधार मूल्य वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व का लिया जाना था। आगे, मूल्यवृद्धि के भुगतान हेतु निविदा खुलने की तिथि को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग को जारी किया गया पत्र (अप्रैल एवं जून 2017) अनुत्तरित रहा (अगस्त 2017)।

3.8 सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण पर परिहार्य व्यय

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपेक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने वाले आइटमों का गलत समावेश करने के कारण ₹ 4.19 करोड़ का परिहार्य व्यय

प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र (दिसम्बर 2014) के अनुसार, ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट का निर्माण पूर्व में निर्मित सीमेंट कंक्रीट/बिटुमिन सड़क पर किया जायेगा और इसलिए, नई सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए नये सब बेस या ग्राउंड तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिपत्र में यह भी प्रावधान था कि ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत कार्यदिश देते समय विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपेक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने जैसे आइटमों को जहां तक संभव हो शामिल नहीं किया जावे क्योंकि यह योजना के प्रथम चरण के बजट को जो कि इस उद्देश्य के लिए दिया गया था बिना क्वालिटी निर्माण को समाप्त कर देगा। परिपत्र के अनुसार, लागत को कम करने के लिये और अधिक क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने में धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त आइटमों पर होने वाले परिहार्य व्यय पर प्रत्येक स्तर पर सावधानी रखी जानी थी।

राज्य सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की (दिसम्बर 2014)। सम्बन्धित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा 95 सड़कों⁶⁴ हेतु ₹ 43.86 करोड़⁶⁵ के कार्यदिश जारी किये गये थे (दिसम्बर 2014) तथा कार्य समाप्ति की तिथि मई एवं सितम्बर

⁶⁴ बालोतरा (15 सड़कें), चित्तौड़गढ़ (26 सड़कें), बाड़मेर-1 (14 सड़कें), शाहपुरा (23 सड़कें) एवं नवलगढ़ (17 सड़कें)

⁶⁵ बालोतरा (9.73 करोड़), चित्तौड़गढ़ (12.52 करोड़), बाड़मेर-1 (7.02 करोड़), शाहपुरा (8.41 करोड़) एवं नवलगढ़ (6.18 करोड़)

2015 के मध्य निर्धारित की गई थी। विभिन्न संवेदकों को ₹ 34.55 करोड़⁶⁶ का भुगतान (अगस्त 2015 से अगस्त 2016) किया गया था।

खण्डों के अभिलेखों की जांच (जनवरी-अक्टूबर 2016) में ज्ञात हुआ कि विभाग ने मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस व कंपेक्टेट ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट आर्टमों को कार्यों के तकमीना में शामिल किया था। यहां यह भी उल्लेख करना है कि ग्रामीण गौरव पथ दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाना था। तथापि, ग्रामीण गौरव पथ योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्य आंवटित/निष्पादित किये गये थे। यदि विभाग ने इन आर्टमों को तकमीना में शामिल नहीं किया होता और निर्देशों के अनुसार पूर्व निर्मित सीमेंट कंक्रीट/डामर सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कराया जाता तो इन सड़कों पर किये गये व्यय राशि ₹ 4.19 करोड़ (*परिशिष्ट 3.18*) को बचाया जा सकता था। इससे विभाग को अधिक क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने में बचत राशि के उपयोग में मदद मिलती।

बालोतरा, शाहपुरा एवं बाडमेर-1 खण्ड के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने बताया (जनवरी, जून एवं जुलाई 2017) कि सड़क पर पानी एकत्रित होने एवं कीचड़ की समस्या को दूर करने हेतु तकमीना में मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस एवं डब्ल्यू. बी.एम. कार्यों को शामिल किया गया एवं कार्य निष्पादित कराये गये। चित्तौड़गढ़ खण्ड के सम्बन्ध में, यह बताया गया (अगस्त 2017) कि सड़कों पर पानी इकट्ठा होने के कारण अधिकांशतः सड़के बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। इस समस्या को दूर करने के लिए इन आर्टमों को अनुमानों में शामिल किया गया और कार्य निष्पादित किये गये थे। नवलगढ़ खण्ड के सम्बन्ध में यह बताया गया (जून 2017) कि क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण इस सड़कों पर अत्यधिक यातायात था इसलिए राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा अनुमोदित क्रस्ट के डिजाईन के आधार पर ग्रेन्यूलर सब बेस एवं वाटर बाउण्ड मैकेडम के कार्यों को निष्पादित कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन मदों को शामिल किया जाना राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। इसके अलावा सड़कों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के समर्थन में खण्डों द्वारा कोई सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई एवं नवलगढ़ खण्ड के सम्बन्ध में 17 सड़कों में से एक सड़क की ही राज्य तकनीकी एजेंसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बाडमेर-1 खण्ड के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित सरफेस हिस्ट्री ऑफ रोड्स (सर्वे रिपोर्ट नहीं) प्रस्तुत की गई, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि किसे एवं कब यह दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे तथा उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कारवाई कि गई।

⁶⁶ बालोतरा (6.54 करोड़), चित्तौड़गढ़ (9.58 करोड़), बाडमेर-1 (5.84 करोड़), शाहपुरा (6.63 करोड़) एवं नवलगढ़ (5.96 करोड़)

3.9 सड़कों के निर्माण में अनियमित व्यय

वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध ₹ 80.28 लाख का अनियमित व्यय

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 10 में प्रावधान है कि लोक निधियों से व्यय करने वाले या व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च स्तर द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर कदम पर वित्तीय आदेश एवं कठोर मितव्ययता लागू करनी चाहिए। उससे यह आशा की जाती है कि लोक निधि से व्यय के सम्बन्ध में वह वैसी ही सतर्कता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में बरतता है।

राज्य सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (दिसम्बर 2014)। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा 31 सड़कों⁶⁷ के लिए ₹ 15.50 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की। निविदा प्रक्रिया के पश्चात, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा 6 सितम्बर 2015 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ ₹ 12.52 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्य अपूर्ण रहा तथा मार्च 2016 तक संवेदक को राशि ₹ 9.50 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की समीक्षा (मई 2016) में ज्ञात हुआ कि 31 सड़कों में से, 2 सड़कें 1 से 12 माह पहले⁶⁸ अन्य योजनाओं के अंतर्गत बनाई जा चुकी थी एवं गारंटी अवधि में थी। इस तरह की जानकारी होने के बावजूद ये सड़कें ग्रामीण गौरव पथ योजना में पुनः स्वीकृत की गयी तथा राशि ₹ 80.28 लाख का व्यय करने के बाद भी कार्य प्रगतिरत था। सड़क वार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सड़क का नाम	रीच	ग्रामीण गौरव पथ के अंतर्गत व्यय (राशि ₹ लाख में)	माह जिसमें अन्य योजना में पहले कार्य संपन्न किया गया था।
1	पाल संपर्क सड़क	2/500 से 3/500 किमी	40.67	नवम्बर 2013 (12 महीने पहले) आरआईडीएफ ⁶⁹ योजना के अंतर्गत
2	चित्तौड़गढ़-सोनियाना सुरपूर सड़क	13/500 से 14/500 किमी	39.61	नवम्बर 2014 (1 महीना पहले) किमी 13/000 से 14/000 किमी की रीच का कार्य अन्य योजना अर्थात् नोन पैचेबल कार्य के अंतर्गत निष्पादित किया गया
योग			80.28	

⁶⁷ पैकेज संख्या आरजे-10-01/जीजीपी सड़क/योजना/2014-15

⁶⁸ ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृति की तिथी से

⁶⁹ ग्रामीण ढांचागत विकास निधि।

चूंकि इन सड़कों की रीचों को अन्य योजना में 1 से 12 माह पूर्व निर्मित किया गया था तथा ये गारंटी अवधि में थी, अतः इन्हे ग्रामीण गौरव पथ योजना में पुनः स्वीकृत किया जाना एवं राशि ₹ 80.20 लाख का परिहार्य व्यय किया जाना वित्तीय औचित्यता के नियमों के विपरीत था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (मई 2017) कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों के घनी आबादी क्षेत्र में स्थित ये सड़कें पुरानी और अत्यधिक क्षतिग्रस्त थी। स्थानीय विधानसभा के सदस्य की अनुशंसा पर इन क्षेत्रों से सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुरानी एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कें उपरोक्त स्वीकृत सड़कों का भाग नहीं थी तथा इन सड़कों की ग्रामीण गौरव पथ योजना में निर्माण की कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृत सड़कों के लिए निर्धारित राशि से इन सड़कों पर व्यय किया जाना अनियमित था क्योंकि यह दर्शाया गया कि ये ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृत थी, सीमेंट कंक्रीट सड़कें कहीं और निर्मित की गई थी जिनके लिए कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी।

जल संसाधन विभाग

3.10 कोषों का अवरुद्ध रहना एवं क्षतिपूर्ति की वसूली का अभाव

बाँध एवं नहर का कार्य साथ-साथ सम्पादित नहीं करने से कोषों का अवरुद्ध रहना ₹ 9.21 करोड़ एवं संवेदक से ₹ 93.24 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली का अभाव

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बाँध निर्माण और नहर कार्यों को साथ-साथ शुरू किया जाना चाहिए था, ताकि बाँध में संग्रहित जल का सिंचाई हेतु तुरंत उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, योजना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सिंचाई सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एवं पूंजी के अनावश्यक अवरोधन को रोकने के लिए परियोजना की स्वीकृति के साथ ही, बाँध, नहर और क्षेत्रीय चैनलों के निर्माण को उचित रूप से समन्वित किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार ने घोड़ा खोज लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 15.44 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मंजूर की (मई 2007), जिसे जुलाई 2011 में ₹ 19.24 करोड़ तक संशोधित किया गया। स्वीकृति में बाँध और नहर के निर्माण कार्य सम्मिलित थे। बाँध का निर्माण राशि ₹ 9.21 करोड़ के व्यय से मई 2010 में पूर्ण हो चुका था। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर द्वारा दायीं मुख्य नहर⁷⁰ जिसका कृषि योग्य क्षेत्र 425.21 हैक्टर था, के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति ₹ 3.81 करोड़ की जारी की गई थी (दिसम्बर 2009) जिसे सितम्बर 2014 में ₹ 4.18 करोड़ से संशोधित किया गया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नहर निर्माण की निविदा को ₹ 3.50 करोड़ में स्वीकृत किया गया (मई 2010) एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड सलूम्वर द्वारा 4 दिसम्बर 2011 तक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ मई 2010 में कार्यादेश जारी किया गया। कार्य को अपूर्ण स्थिति में अंतिम रूप दिया गया (5 सितम्बर 2013) एवं कार्य के पूर्ण किये गये भाग के लिए संवेदक को ₹ 2.42 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2015)।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सलूम्वर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि 28 फरवरी 2013 तक समय-वृद्धि दिये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा नहर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन ने अनुबंध की धारा 2 एवं 3(सी) के तहत कार्यवाही करने की मंजूरी प्रदान की (सितम्बर 2013)। इसकी अनुपालना में, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड सलूम्वर ने संवेदक द्वारा सौंपी गई बैंक गारंटी ₹ 35.03 लाख में से अनुबंध की धारा 2 के तहत संवेदक से ₹ 14.10 लाख की वसूली की (सितम्बर 2013) एवं

⁷⁰ कोई बाँई मुख्य नहर नहीं है।

शेष राशि ₹ 20.93 लाख खण्ड के निक्षेप-पंचम⁷¹ में जमा थी। विभाग द्वारा अनुबंध की धारा 3(सी) के अंतर्गत मूल संवेदक के जोखिम एवं लागत पर अन्य संवेदक से शेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए कार्रवाई आरम्भ की। ₹ 1.31 करोड़ के शेष कार्य पूर्ण करने के लिए छः बार निविदायें आमंत्रित की गईं (फरवरी 2014 से जून 2015) परन्तु किसी संवेदक ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। अन्य संवेदक के पक्ष में निविदा स्वीकृत कर जून 2016 में ₹ 3.07 करोड़ (अतिरिक्त मदों की लागत सहित) का कार्यादेश जारी किया गया। इसलिए, अनुबंध की धारा 3 के तहत मूल संवेदक ₹ 93.24 लाख की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी था, जो वसूल नहीं की गई।

बाँध एवं नहर का कार्य साथ-साथ जारी नहीं करने से बाँध के निर्माण पर किया गया ₹ 9.21 करोड़ का व्यय अवरुद्ध रहा एवं किसानों को सिंचाई सुविधाओं से छहः वर्ष से अधिक समय के लिए वंचित रहना पड़ा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि बाँध का निर्माण मई 2010 में पूर्ण हो चुका था तथा नहर का कार्य जून 2017 तक पूर्ण होने की संभावना थी। इसके अतिरिक्त यह बताया कि 425 हैक्टर के कुल परिकल्पित कृषि योग्य क्षेत्र में से, वर्ष 2011-12 तक 150 हैक्टर में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई थी तथा परियोजना पूर्ण होने के पश्चात शेष 275 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाँध एवं नहर का कार्य साथ-साथ आवंटित नहीं करने से, नहर का परिकल्पित कृषि योग्य क्षेत्र समय पर तैयार नहीं किया जा सका तथा किसानों को छहः वर्ष से अधिक समय के लिए सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अनुबंध की धारा तीन के तहत क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली नहीं की गई थी।

3.11 नहर के निर्माण पर कोषों का अवरुद्ध रहना

भीखा भाई सागवाड़ा नहर के निर्माण में वन भूमि की अनुमति के अभाव में कोषों का अवरुद्ध रहना ₹ 39.87 करोड़

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सौंपा नहीं गया हो।

भीखा भाई सागवाड़ा नहर राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर के प्रमुख जनजातीय आबादी क्षेत्र में चलाई जा रही एक योजना है। यह नहर 27500 हैक्टर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई का उद्देश्य पूरा करने हेतु माही बजाज सागर बांध से पानी प्राप्त करती है। नहर का आरडी⁷² 78.88 किमी तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है (मई

⁷¹ निक्षेप जमा खाता

⁷² चल दूरी।

2012) एवं उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आरडी 78.88 किमी के बाद की शेष रीच के निर्माण हेतु अर्थात् आरडी 78.88 किमी से 92.01 किमी (एमआईएस⁷³-VII) हेतु ₹ 41.80 करोड़, आरडी 92.01 किमी से 105.00 किमी (एमआईएस- VIII) हेतु ₹ 44.27 करोड़ एवं आरडी 105.00 किमी से 115.00 किमी (एमआईएस-IX) हेतु ₹ 42.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (अप्रैल 2013)। स्वीकृतियां, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग से भूमि की अनुमति की शर्त के साथ जारी की गई थी। अधिशाषी अभियंता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड, माही परियोजना, सागवाड़ा द्वारा नहर निर्माण के कार्यादेश⁷⁴ सितम्बर 2015 एवं अक्टूबर 2016 के मध्य कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि के साथ जारी किये गये (सितम्बर 2013 एवं अक्टूबर 2014 के मध्य)। आरडी 81.09 किमी से 87.51 किमी का नहर का निर्माण ₹ 12.73 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया (सितम्बर 2015) एवं आरडी 97.08 किमी से 110.37 किमी का कार्य ₹ 27.14 करोड़⁷⁵ के व्यय के साथ प्रगतिरत था (अगस्त 2016)। आरडी 87.51 किमी से 92.01 किमी का कार्य निविदाओं को अंतिम रूप नहीं देने के कारण लंबित था। नहर का रेखीय मानचित्र नीचे दर्शाया गया है:

पूर्ण भाग	वन भूमि (3.58 हैक्टर)	पूर्ण भाग	निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया	वन भूमि (0.29 हैक्टर)	कार्य प्रगति पर
किमी 0.0 से 78.88	किमी 78.88 से 81.09	किमी 81.09 से 87.51	किमी 87.51 से 92.01	किमी 92.01 से 97.08	किमी 97.08 से 110.37

भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड, माही परियोजना, सागवाड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया (सितम्बर 2016) कि आरडी 78.88 किमी से 81.09 किमी एवं आरडी 92.01 किमी से 97.08 किमी का कार्य 3.87 हैक्टर वन भूमि की भागीदारी के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। वन भूमि की अनुमति हेतु मामला अप्रैल 2013 में वन विभाग को भेजा गया था तथा इसकी अनुमति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं करने के फलस्वरूप मध्य भागों के निर्माण के बिना, टुकड़ों में नहर का निर्माण करने से ₹ 39.87 करोड़ के कोष अवरुद्ध रहें। इसके परिणामस्वरूप आरडी 78.88 किमी से 110.37 किमी में नहर का काम पूर्ण किये जाने से सृजित हाने वाले कृषि योग्य क्षेत्र में से किसानों को प्राप्त होने वाली सिंचाई सुविधाओं के लाभ का आस्थगन हुआ।

⁷³ लघु सिंचाई योजना।

⁷⁴ आरडी 81.09 से 87.51 के लिए ₹ 12.91 करोड़, आरडी 97.08 से 102.00 के लिए ₹ 13.05 करोड़, आरडी 102.00 से 105.00 के लिए ₹ 9.06 करोड़ एवं आरडी 105.00 से 110.37 के लिए ₹ 11.58 करोड़।

⁷⁵ आरडी 97.08 से 102.00 के लिए ₹ 9.95 करोड़, आरडी 102.00 से 105.00 के लिए ₹ 7.69 करोड़ एवं आरडी 105.00 से 110.37 के लिए ₹ 9.50 करोड़।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने गैर वन प्रायोजनों हेतु वन भूमि जारी करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाणपत्र जारी किये थे (मई 2015 एवं नवम्बर 2016)। इसके अलावा यह बताया कि आरडी 78.88 किमी से 81.09 किमी एवं आरडी 92.01 किमी से 97.08 किमी के अंतर्गत आ रही वन भूमि के समकक्ष गैर वन-भूमि प्रत्यावर्तित की जा रही थी और वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगतिरत थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि-अधिग्रहण पूर्व अपेक्षित था तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि की मंजूरी की शर्त के साथ जारी की गई थी। अतः वन भूमि की अनुमति के बिना भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरडी 78.88 किमी से 81.09 किमी तथा आरडी 87.51 किमी से 97.08 किमी तक बिना नहर का निर्माण किये आरडी 81.09 किमी से 87.51 किमी एवं आरडी 97.08 किमी से 110.37 किमी तक नहर का निर्माण किये जाने से ₹ 39.87 करोड़ के कोष अवरुद्ध रहे परिणामस्वरूप किसानों को परियोजना पूर्ण होने के पश्चात मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं के लाभों का आस्थगन हुआ।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)

महालेखाकार

जयपुर

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

दिनांक: 02 फरवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

राजीव महर्षि

(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 06 फरवरी 2018

